खण्ड-232, अंक-8
बुधवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1884
(8 अगस्त, 1962 ई0)

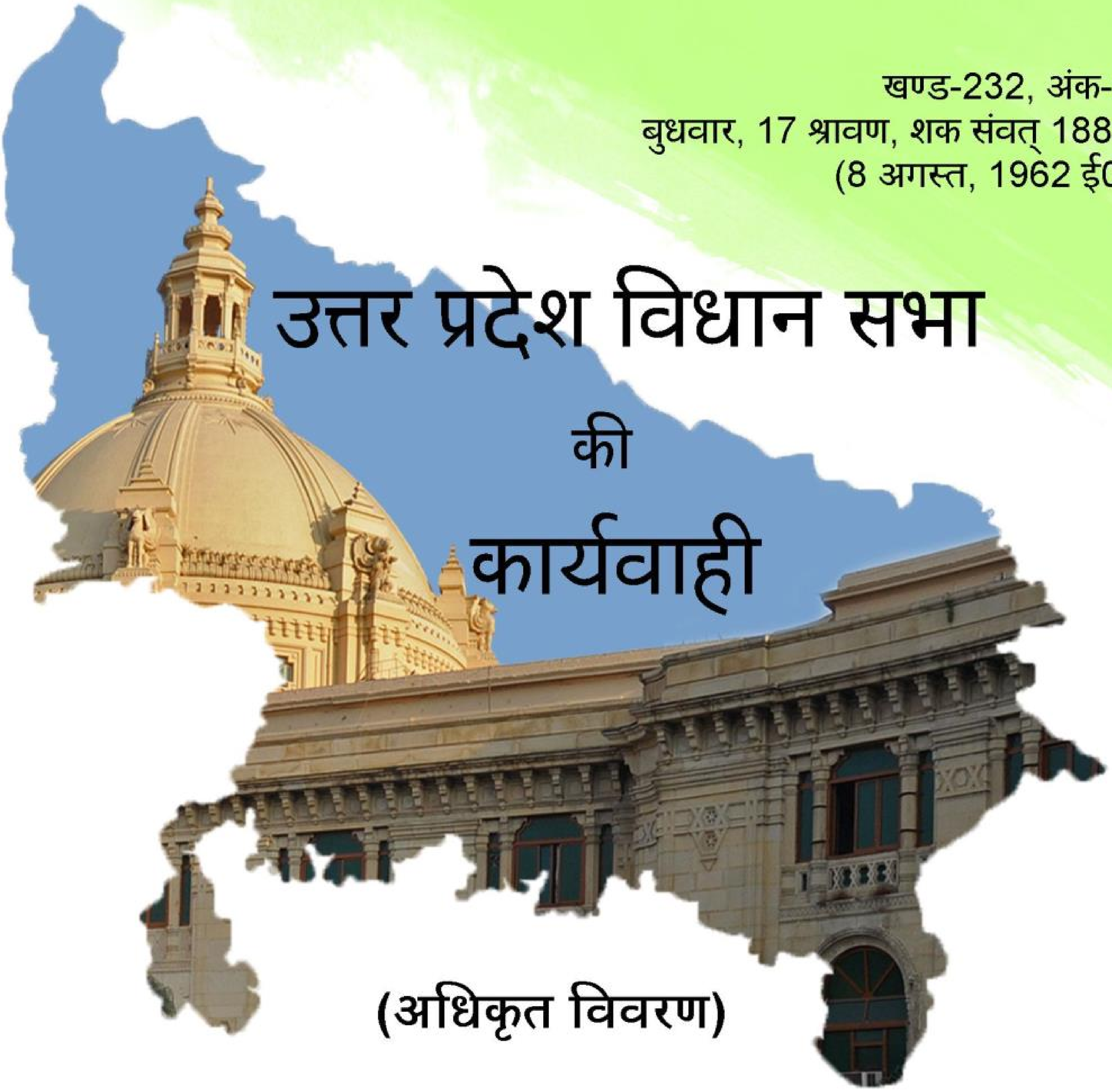

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ८ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८८

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर श्री, (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखन्डेराय, श्री
झिलमिटि राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पंचम ास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री

सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्वीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजपालसिंह, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुलराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ८ अगस्त, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

झांसी जिले में चेचक की रोकथाम

*१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के सिमराहा ग्राम में जो झांसी से करीब तीन मील पर है १ मई, १९६२ से १५ मई, १९६२ के बीच करीब २०० बच्चों की मृत्यु चेचक के कारण हुई है? यदि यह सही है, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—सिमराहा ग्राम में १ मई, से १५ मई, १९६२ के बीच कोई मृत्यु चेचक से नहीं हुई, केवल सात बच्चों की मृत्यु चिकिन पाक्स और खसरा से इस समय के बीच हुई थी।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी व और संबंधित अधिकारियों ने इस ग्राम का निरीक्षण किया और चेचक के टीके लगवाये हैं। अब तक ४१६ टीके लग चुके हैं।

*२—श्री लखपतराम शर्मा—क्या ग्राम सिमराहा की जन-संख्या करीब एक हजार की है और वहां चेचक तथा हैजे के कारण जो मृत्यु हो रही है उससे जन-संख्या काफी घट गई है?

श्री धर्मसिंह—ग्राम सिमरहा की जन-संख्या १९५१ की जनगणना के अनुसार ४७५ थी इस समय वहां की अनुमानित जन-संख्या ६०० है। इस ग्राम में हैजे या गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस की बीमारी न है और न थी। कुछ चेचक और खसरा की बीमारी अवश्य है जिससे १ जनवरी, १९६२ से १५ मई, १९६२ तक क्रमशः ५ और २९ बच्चों की मृत्यु हुई है।

*३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में शहर और आस-पास के देहातों में हैजा और चेचक से जो मौतें हो रही हैं उसको रोकने के लिये सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—झांसी शहर में चेचक रोकने का पूरा प्रबन्ध किया गया है। इस वर्ष ८२७७ चेचक के टीके लगाये गये। इस वक्त झांसी शहर में चेचक का रोग नहीं है।

इस वर्ष झांसी शहर में हैजे से अभी तक कोई मृत्यु की सूचना नहीं मिली।

झांसी शहर के आस पास के देहातों में चेचक तथा हैजे की बीमारी से कोई भी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन चेचक की रोकथाम के लिये टीका लगाने का सम्पूर्ण प्रबन्ध रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय सदन में यह पेश किया गया उसके उपरान्त वहां डाक्टर पहुंचे तो यह डाक्टर के नोटिस में इतने बच्चों की मृत्यु का समाचार कैसे पहुंचा ? उनको यह कैसे ज्ञात हुआ जब कि वे बाद में गए थे मृत्यु होने के पश्चात् ?

श्री धर्मसिंह—जिला अधिकारी को जब भी इस प्रकार की सूचना मिलती है किसी भी सोर्स से तो वे वहां जाते हैं और ऐसी बात नहीं है कि जब प्रश्न किया गया है तभी वे जिला अधिकारी वहां गए हों। वे जब मौके पर गए और छानबीन की तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो उनसे प्राप्त हुई, यह रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की गई है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या यह सही है कि जब बच्चों की मृत्यु हो गई तब यह प्रश्न सदन में आया और उसके पश्चात् डाक्टर साहब गए और उन्होंने जाकर ग्राम सभापति के रजिस्टर में जो मृत्यु का इन्द्राज था उसकी कापी करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, मैं यह बात नहीं मानता हूं। हो सकता है कि जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं और अमूमन यही होता है कि जब बीमारी की खबर मालूम होती है तभी स्वास्थ्य अधिकारी पहुंचते हैं। मैं इतनी बात तो मानता हूं। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं लेकिन इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि झांसी जिले के उस हिस्से की तरह से सूबे के अन्य भागों में भी चेचक की बीमारी ३-४ महीनों में बहुत फैल गई है। यदि यह सही है तो उसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की कोई सूचना नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं लेकिन जब-जब बीमारी फैली उसकी रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से पूरी तरह से प्रयत्न किये जाते हैं और किए गए हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि भारत सरकार ने स्माल पाक्स इरैडिकेशन की कोई स्कीम चलाई है ? यदि हां, तो उस स्कीम का यू० पी० में क्या अमल हो रहा है और किस हद तक हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, यह बात सही है कि जहांतक स्माल पाक्स को समाप्त करने का प्रोग्राम है, भारत सरकार की ओर से एक स्कीम चलाई गई है और वह हमारे प्रदेश में भी २ अक्टूबर को लागू होगी। उसके लिये स्टाफ वगैरह का प्रबंध किया जा रहा है और कर दिया गया है। लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और १७ जिलों में इसका पूरी तरह से नाश करने के लिये एक व्यापक कदम २ अक्टूबर से प्रारंभ कर दिया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन १७ जिलों में झांसी का नाम है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है और इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—प्रश्न १ के उत्तर में मंत्री जी ने यह बताया कि ४१६ टीके लगाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस चीज के टीके लगाए गए हैं और कौन सी बीमारी थी जिसके लिये यह टीके लगाए गये ?

श्री धर्मसिंह—यह तो मैंने अपने उत्तर में जैसा निवेदन किया था बीमारी चेचक की नहीं हुई, लेकिन उससे संबंधित जो और बीमारी होती है जिसे छोटी माता या बड़ी माता के नाम से भी कहते हैं या चिकिन पाक्स कहते हैं जब वह बीमारी होती है तब भी चेचक के ही टीके लगाये जाते हैं।

गोरखपुर जिले में कटाव ग्रस्त मकानों के पुर्ननिर्माणार्थ सहायता

*४—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर में जो हरिजन बस्तियां नदियों के कटाव से कट कर पानी में चली गई हैं उन हरिजन बस्तियों को सरकार पुनः राजकीय हरिजन बस्ती के आधार पर या अनुदान देकर बसाने पर कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—गोरखपुर जिले में कोई पृथक हरिजन बस्ती नदियों के कटाव से पानी में नहीं चली गई है। हरिजन परिवारों के घरों के साथ-साथ अन्य परिवारों के घर भी नदियों से कटे हैं। अतएव केवल हरिजनों को अनुदान देकर बसाने का प्रश्न नहीं उठता। सभी को जिन स्थानों पर बसाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी सूची संलग्न है :—

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५१ पर)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले में प्रान्तीय सरकार की ओर से हरिजन बस्तियों के निर्माण के लिये या गृह निर्माण के लिये उस योजना के अन्तर्गत कितना रुपया दिया गया और उक्त रुपये का इस्तेमाल कटाव क्षेत्र वाले हरिजनों के लिये नहीं किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—हरिजनों को सात साढ़े सात सौ रूपये मकान बनाने के लिये दिये जाते हैं अनुदान के रूप में। उसमें यह रुपये तो खर्च करते हैं और २५० रुपये इसके अलावा जमीन खरीदने के लिये हरिजनों को दिये जाते हैं। यह तो उनको विशेष सहायता दी जाती है, बाकी सब अन्य सहायता भी दी जाती हैं। कुल कितना रुपया दिया गया इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—जो फार्मूला माननीय मंत्री जी ने बताया उसके अन्तर्गत उस धन का इस्तेमाल कटाव क्षेत्र वाले हरिजनों के लिये क्यों नहीं किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जो हरिजन दरख्वास्त देते हैं, उनको दिया जाता है।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये जो ७ सौ रुपये दिये जाते हैं और २५० जमीन खरीदने के लिये, क्या यही सहायता पूर्वी जिले के हरिजनों को भी दी जाती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह सब जगह चालू है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—जो फार्मूला अभी बताया गया वह प्रदेश के हर एक जिले के लिये बताया गया। माननीय कल्पनाथ जी ने यह पूछा था कि इस फार्मूले के अलावा जो कटाव क्षेत्र के हरिजन हैं उनको क्या सहायता दी गयी ? इसका क्या उत्तर है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—और कोई सहायता नहीं दी जाती। इतना काफी समझा जाता है।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—क्या माननीय मन्त्री जी, हरिजनों को जो यह पैसा दिया जाता है, इसके वितरण के समय, कटाव पीड़ित हरिजनों को वरीयता देंगे?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसके लिये जिलों में एक कमेटी बनी हुई है। एक-एक केस पर विचार करके वह कमेटी अपनी सिफारिश देती है और उसके अनुसार उसको बांटा जाता है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन हरिजनों या गैर हरिजनों के मकानात नदी में बह गये हैं, उनको दोबारा बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जैसा मैंने सूची में बताया है, जो जो गांव बह गये, उनके लोगों को बसाने के लिये जहां-जहां प्रबन्ध किया जा सका, वहां उन्हें बसा दिया गया। इसके अलावा जो सहायता जरूरी होती है, वह कमेटी की सिफारिश के अनुसार दी जाती है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—जो सहायता दी जाती है वह पक्के मकानों के लिये दी है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उससे कच्चे मकान ही बनवाये जायं क्योंकि पक्के मकान बनवाने पर वे उसकी मरम्मत नहीं करवा पाते?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मरम्मत तो करानी ही चाहिये, उसके लिये फारमली इतनी सहायता दी जाती है, जिससे वह मकान बना लेते हैं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कटाव-ग्रस्त बहुत से हरिजनों को सरकार की तरफ से कोई सहायता जब न मिली तो वहां से उजड़ कर दूसरी जगह चले गये हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसी तो कोई बात है नहीं। जैसा मैंने इस सूची में बताया है, इन १३ गांवों के लोगों को ७ गांवों में बसाने की कोशिश की जा रही है और उनको अनुदान दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नोटिस में नहीं आयी कि कोई अनुदान न मिलने की वजह से कहीं चले गये हों।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के बेलपुर गांव में एक हरिजन बस्ती बनायी गयी है और उक्त हरिजन बस्ती भी नदी से कटी हुई थी, तो इस तरह की योजना दूसरे जिलों में हरिजन बस्तियों के लिये क्यों नहीं लागू की जा रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या सरकार जो गरीब हैं और हरिजन नहीं हैं, उनके लिये भी कोई इन्तजाम कर रही है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह तो केवल हरिजनों का सवाल है, प्रश्न नहीं उठता, लेकिन दूसरे लोगों के लिये भी जो दरख्वास्त देते हैं जो उचित समझा जाता है, किया जाता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—जो सूची है, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जैतपुर गांव में केवल हरिजनों के ही घर कटे हैं और उन्हीं की आबादी है और उन्हीं के बसाने के लिये कोहड़ाभावर में व्यवस्था की है, तो इनको उक्त सहायता दी गयी है या नहीं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—रुपया तो यहां से मंजूर है, ऐक्चुअली किस-किस को दिया गया, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

[८ अगस्त, १९६२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोंडा जिले की रजिस्टर्ड सहकारी कृषि समितियां

*१—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कौन-कौन रजिस्टर्ड सहकारी कृषि समितियां हैं और उनके कौन सदस्य संचालक मन्डल में हैं?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—गोंडा जनपद में जो सहकारी कृषि समितियां रजिस्टर्ड हैं और उनके सम्मुख अंकित सदस्य संचालक मन्डल में हैं उनका सूची में विवरण है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८५२–८५३ पर)

*२—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त प्रत्येक समिति का पिछले तीन सालों में क्या आय और व्यय हुआ तथा कितना-कितना अनुदान प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से उन्हें दिया गया?

श्री चन्द्रसिंह—पिछले ३ सालों में प्रत्येक समिति में जो आय-व्यय हुआ तथा प्रत्येक वर्ष में उन्हें सरकार की ओर उनके सम्मुख अंकित धनराशि अनुदान के रूप में दिया गया उनका सूची में विवरण है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८५४ पर)

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि अधिकांश सहकारी खेती सोसाइटियां ऐसी हैं जिनके संचालक मंडल या सदस्यों में एक ही परिवार के लोग हैं, महज नाजायज फायदा उठाने के लिये यह बनी हुई हैं?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अगर माननीय सदस्य नोटिस में कोई ऐसी बात लायेंगे तो उसकी जांच की जायगी। वैसे जो लिस्ट है उससे मालूम होता है कि हिन्दू मुसलमान, सभी परिवारों के लोग सम्मिलित हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—कोई ऐसी सोसाइटी बता दें जिसमें हिन्दू और मुसलमान सम्मिलित हों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आप नं० (४) हरिहरपुर को देखें, इसमें अजमतुल्ला खां, छेदीराम, रमजान अली इत्यादि सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी, आप नं० (३) भी देखें उसमें भी हिन्दू और मुसलमान दोनों परिवारों के लोग सदस्य हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या कारण है कि आमतौर से सोसाइटियों का आय-व्यय लगभग बराबर है, कोई विशेष लाभ क्यों नहीं हुआ है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका कारण तो मैं नहीं बता सकता। कहीं-कहीं ज्यादा लाभ भी है, कहीं कम है और कहीं हानि भी है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—इसमें एक सोसाइटी बिनहोनी है जिसकी आय २२ रुपये ६२ नये पैसे और व्यय भी २२ रुपये ६२ नये पैसे दिखाया गया है, अगर कुछ भी न बोया जाता तो इतने की तो घास ही पैदा हो जाती तो आखिर सोसाइटी क्या काम करती रही और क्या पैदावार हुई?

(उत्तर देने के लिये नहीं बुलाया गया।)

पेन्शनर्स की मांगें

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो पेन्शन पा रहे हैं उनकी पेंशन में जिस प्रकार से मंहगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वैसा महंगाई भत्ता बढ़ाने हेतु लखनऊ में ६ मई, १९६२ को पेन्शन पाने वालों की कान्फ्रेन्स में उससे मांग की गई थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी नहीं। स्थिति यह है कि कांफ्रेन्स में महंगाई भत्ते के रूप में अस्थायी वृद्धि की दरों को बढ़ाने की मांग तो की गयी थी किन्तु उनकी स्पष्ट मांग यह थी कि ५० रु० तक के पेन्शन वालों को १० रु० प्रति मास तथा ५१ रु० से १०० रु० तक के पेन्शन पाने वालों को १२ १/२ रु० प्रतिमास की अस्थायी वृद्धि दी जाय। उनकी मांग यह नहीं थी कि पेन्शनर्स की पेन्शन में जिस प्रकार से महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वैसा महंगाई भत्ता दिया जाय।

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री ने ६ मई, १९६२ की कान्फ्रेन्स में यह कहा था कि सरकार उनकी मांगें मानने में असमर्थ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। सरकार के १०० रु० तक पेन्शन पाने वाले पेन्शनर्स की संख्या लगभग सैंतीस हजार है और यदि प्रत्येक की पेन्शन में १ रु० प्रतिमास की वृद्धि की जाय तो लगभग ४ १/२ लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त व्यय होगा। वर्तमान आर्थिक स्थिति में सरकार के लिये यह धन जुटाना सम्भव नहीं है। अब पेन्शन रूल्स में पूरे मंहगाई भत्ते को पेन्शन के लिये वेतन में गिना जाता है जिससे पेन्शनर्स को काफी फायदा होगा।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार, उनकी मांगें क्या थीं उन्हें सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—६ मई, १९६२ को हुई कांफ्रेन्स में की गयी मांगों की प्रति सरकार को नहीं प्राप्त हुई। मुख्य मन्त्री जी से २७ अप्रैल, १९६२ की मुलाकात के सिलसिले में पेन्शनर्स एसोसियेशन की ओर से उनकी मांग की एक प्रति प्राप्त हुई थी जिसको सदन की मेज पर रखा जा सकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय वित्त मन्त्री जी बतायेंगे कि जो पेन्शन वालों की मांगें मुख्य मन्त्री जी को दी गयीं उनमें से एक भी मांग सरकार मानने के लिये तैयार है, यदि हां, तो वह कौन सी मांग है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि जो मांगें रखी गई थीं, उनमें से कौन-कौन सी मांगें स्वीकार कर ली गयी हैं।

श्री जयराम वर्मा—ठीक उस रूप में जिसमें उन्होंने की हैं कोई मांग स्वीकार नहीं की गई है।

श्री मैनेजर—उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—पहली मांग यह थी कि पेंशन के झगड़ों का निपटारा करने के लिये पेंशन ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाय। दूसरी यह थी कि पेंशन का भुगतान पोस्ट आफिस के द्वारा किया जाय। दवाइयों की जो सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं वे पेंशनर्स को भी दी जायें। पेंशनर्स के बच्चों को फीस में छूट दी जाय। शरीर और मस्तिष्क से स्वस्थ पेंशनर्स को सामाजिक क्षेत्रों में सरकार कुछ जनता की सेवा करने का अवसर दे और समाज कल्याण विभाग २५,००० रुपये का अनुदान स्वीकार करे।

श्री कल्पनार्थसिंह—सरकार इन मांगों को किस रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—ट्रिब्यूनल की मांग पर मैंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये कहा था, जल्दी से पेंशन का फैसला हो जाय। इसके लिये मैंने वित्त मन्त्री जी और वित्त सचिव से कहा था और वित्त सचिव ने वायदा भी किया है कि वह इसकी कोशिश करेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह—पोस्ट आफिस के माध्यम से पेंशन देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके विषय में वित्त सचिव से बात तो नहीं हुई। किन्तु वित्त मन्त्री कदाचित् बता सकेंगे कि क्या स्थिति है।

श्री जयराम वर्मा—१०० रुपये तक की पेंशन वाले अगर चाहें तो अपनी पेंशन का भुगतान पोस्ट आफिस से ले सकते हैं। ५० रुपये तक वालों का भुगतान बैंकिंग से हो जाया करता है। कुछ परिस्थितियों में १०० रुपये तक का भुगतान ट्रेजरी अफसर खुद भी कर सकता है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या वित्त मन्त्री जी को शिकायत मिली है कि पेमेंट में बहुत दिक्कत होती है और पेंशनर चाहते हैं कि उनके घर मनी आर्डर से भेज दिया जाया करे ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

भिक्षा निषेध अधिनियम बनाने की आवश्यकता

*६—**श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के भीख मांगने वालों की कोई लिस्ट सरकार द्वारा तैयार की गई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। सन् १९४८ में सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसका नाम "यू० पी० आर्फनेजेज ऐंड विडोज होम्स कमेटी" था। उक्त कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न जिलाधीशों द्वारा भिक्षुकों की संख्या एकत्र की थी।

*७—**श्री गणेशचन्द तथा श्री नरोमत्तसिंह**—यदि हां, तो भीख मांगने वाले कुल कितने लोग हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उक्त कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भिक्षुकों की अनुमानतः संख्या निम्न प्रकार थी :—

समर्थ (able bodied)	असमर्थ (Disabled)	बाल-भिक्षुक (१२ वर्ष की आयु के नीचे)	कुष्ठ रोग से पीड़ित भिक्षुक
१५,७६२	१२,२७४	३,७५०	१८१३

गत १९६१ की जनगणना (Census) के अनुसार प्रदेश में भिक्षुकों की अनुमानतः संख्या निम्न प्रकार है :—

१४ वर्ष की आयु के नीचे वाले भिक्षुक		१४ वर्ष की आयु से ऊपर वाले भिक्षुक	
स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष
१२,०५१	१३,०९५	१३,९९६	७,९२१

*८--श्री गणेशचन्द तथा श्री नरोत्तमसिंह--क्या सरकार इस विषय पर विचार रही है कि भीख मांगना कानूनन रोक दिया जाय ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--(क) इस सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम १९१६ में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) धारा ८ (१) बाल अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों से भीख मंगवाना निषेध है और यह धारा २२ जिलों पर लागू कर गई है ।

श्री गणेशचन्द--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ४८ और सन् ६१ के आंकड़ों से यह बता लगता है कि भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो सरकार भीख मांगने के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--इसके लिये सोचा जा रहा है कि नरगपालिका अधिनियम में संशोधन किया जाय और चिल्ड्रेन ऐक्ट भी २२ जिलों में नाफिज है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि बेगर हाउस बनाकर इन तमाम को एक जगह रखकर उन्हें कुछ शिक्षा दी जाय और काम भी लिया जाय ताकि वे सुधरें ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--ऐसे होम्स बनाये गये हैं। हरिद्वार में हैं जहां शिक्षा दी जा रही है और कोशिश की जायगी कि और बनाये जावें ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार के पास ऐसी योजना है कि इतने समय में हम भीख मांगने की प्रथा खत्म कर देंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--भिखमंगों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। कोई समय या टार्गेट निश्चित नहीं है ।

श्री झारखंडेराय--क्या सरकार महसूस करती है कि जो बगैर होम्स छोटे-छोटे बनाये गये हैं वे भिखमंगों की संख्या को देखते हुए नहीं के बराबर हैं और क्या सरकार इस योजना को तेजी से लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--यह सही है कि भिक्षुओं की संख्या के हिसाब से होम्स बहुत नाकाफी हैं। हरिद्वार में जाकर खुद मैंने देखा कि वहां बहुत काफी भिक्षुक हैं और बेगर्स होम में थोड़े हैं। विचार किया जा रहा है कि और वहां बनावें और कैसे करें।

श्री नरसिंहनारायण--चिल्ड्रेन ऐक्ट २२ जिलों में कब से लागू किया गया है और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--१४ जिलों में अबकी साल लागू किया गया है, ८ में पहले से लागू था। प्रगति के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि चिल्ड्रेन ऐक्ट जो पीसमील लागू किया जा रहा है उसको एक साथ पूरे सूबे में लागू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--यह पीसमील इसलिये लागू किया जा रहा है जिससे उसका सुपरविजन ठीक प्रकार से हो, इसके लिये कोई अलहदा मशीनरी नहीं है और इसको लागू करने के लिये सुपरविजन की आवश्यकता है ।

श्री काशीनाथ—माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उन्होंने जांच कराई कि १४ वर्ष से कम और अधिक के इतने-इतने भिखमंगे हैं तो क्या उन्होंने उम्र के अतिरिक्त जाति के हिसाब से भी जांच कराई कि किस जाति के कितने लोग भिखमंगे हैं? यदि हां, तो किस जाति के भिखमंगों की तादाद ज्यादा है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जाति मालूम नहीं की गई।

श्री गेंदासिंह—यह निश्चित है कि सूबे में भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है और सरकार का अभी यह निश्चित नहीं है कि वह कब तक बन्द कर दी जायगी तो क्या सरकार भीख मांगने वालों के लिये किसी ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है जिसमें उनके लिये ऐसी दूकानें खोली जायं जहां से उनको अनाज व कपड़ा बिना टैक्स के मिल सके?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसी कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है और न मैं समझता हूं कि यह प्रेक्टिकल ही है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या माननीय मन्त्री जी भिखमंगों के विभाग को माननीय गेंदासिंह को सुपुर्द करने की कृपा करेंगे?

(श्री अध्यक्ष ने उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा)।

श्री गणेशचन्द—वे २२ जिले कौन से हैं जिनमें बच्चों का भीख मांगना बन्द कर दिया गया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, गाजीपुर, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, फैजाबाद, उन्नाव, एटा, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, टेहरी-गढ़वाल, पौरी-गढ़वाल, इटावा, झांसी, मथुरा, नैनीताल और अल्मोड़ा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है जिन का पेशा तो भीख मांगना नहीं है लेकिन ठेकेदारी के तौर पर वह दूसरों से भीख मंगवाते हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है कि कई लोग ठेकेदारी के तौर पर भीख मंगवाते हैं। यह है कि बच्चों से भीख मंगवाना जुर्म है।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब मेरठ और सहारनपुर में भीख मांगना कानूनन जुर्म है तो इन दोनों के बीच में जो मुजफ्फरनगर जिला पड़ता है, उसे क्यों छोड़ दिया गया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस वक्त छोड़ दिया गया है, अब आयन्दा जल्दी ही वहां भी इस कानून को लागू कर दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण—माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि सन् ४८ में जिलाधीशों से यह जांच करायी गयी कि कहां पर कितने भिखमंगे हैं, तो क्या जिलाधीशों ने उस जांच के साथ अपना-अपना कोई सजेशन भी भेजा था कि भीख मांगने वाली प्रथा को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करे?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में भीख मांगना कानूनन जुर्म करार दिया गया है, वहां जो अब तक भीख मांग रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जिन जिलों में भीख मांगना जुर्म करार दिया गया है वहां केवल लड़कों का भीख मांगना जुर्म है। भीख मांगना ही जुर्म हो जाय, इसके लिये सोचा जा रहा है कि नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर दिया जाय या एक नया विधेयक उसके लिये पास कर दिया जाय ।

श्री भीखालाल---श्रीमन्, मैंने भी एक प्रश्न पूछा था कि इसको पूरे सूबे में लागू करने में क्या दिक्कत है, तो माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उसको हर जिले में लागू करने के लिये सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में यह कानून लागू है, वहां पर इसको लागू करने के लिये कौन सी विशेष मशीनरी रखी गयी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---वहां पर जो हमारे अधिकारी हैं, यह देखा गया है कि उनके सुपुर्द जितना काम है, उसके अलावा इस काम को भी वे कर सकते हैं । हर जिले में हर अधिकारी को यह काम नहीं सुपुर्द किया जा सकता है ।

कटरा ग्राम नरैनी सहकारी समिति के कागजात का जल जाना

*९---**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के कटरा ग्राम नरैनी सहकारी समिति के कार्यालय में आग लग जाने से बहुत से कागजात जल गये हैं ?

श्री चन्द्रसिंह---जी हां ।

*१०---**श्री मतोलासिंह**---क्या सरकार बतायेगी कि उक्त समिति में आग लगने से केवल वही कागजात जले जो कि किसानों द्वारा जमा किये गये लगभग १ लाख रुपये से संबंधित थे और सरकारी कागजात बच गये ? क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है ?

श्री चन्द्रसिंह---समिति के कार्यालय में सभी कागजात जल गये। सरकारी कागजात समिति के कार्यालय में नहीं रहते। कागजात उपलब्ध न होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसानों ने कितना रुपया जमा किया था। सी० आई० डी० द्वारा मामले की जांच की गई ।

*११---**श्री मतोलासिंह**---क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों के कागजात जल गये हैं उनको रुपया देने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रसिंह---इसमें सरकार को कुछ नहीं करना है क्योंकि समिति गैर-सरकारी संस्था है ।

श्री मतोलासिंह---क्या मानीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी और सहकारी कागजात एक ही जगह थे या उनके मकान अलग-अलग थे। सरकारी कागज बच गये और सहकारी जल गये, इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---असल में यह यूनियन का बीज भंडार था और बाद में हस्तांतरण कर दिया गया कालिंजर को। ऐसे तो कुछ कागजात यूनियन के वहां रखे थे सुपरवाइजर के पास और कुछ इसमें थे। तो जो इसमें कागजात थे यूनियन के दफ्तर में वे जला दिये गये।

श्री मतोलासिंह---क्या यह सही है कि जो सहकारी कागज जल गये उसकी वजह से लाख डेढ़ लाख रुपये का नुक्सान किसानों का हुआ है ? उसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी जांच तो नहीं हो सकी कि १ लाख या डेढ़ लाख रुपये का नुक्सान हुआ। जहां तक पता चल सका है उससे यही ज्ञात हुआ है कि ३७ हजार रुपये का पता नहीं लग रहा है। आर्बिट्रेशन वगैरह के जो कायदे होते हैं और समितियों से संबंधित जो कागजात थे उनसे जो पता चल सका है वही पता लगा है और बाकी के लिये जो समिति का पैसा था या समिति के सदस्यों का पैसा था उसका अभी तक पूरा-पूरा पता नहीं लग सका कि कितना रुपया वह था।

श्री मतोलासिंह---ये जो सहकारी कागजात जलाये गये थे, जानबूझ कर जलाये गये थे या जल गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस मामले की जांच सी०आई०डी० के सुपुर्द की गयी और यह ख्याल हुआ कि एक तिवारी साहब थे जो पहले सुपरवाइजर रहे थे, उनके ऊपर गबन का मामला चलने वाला था तो शायद उनकी साजिश से यह कागजात जला दिये गये, ऐसी सी० आई० डी० की रिपोर्ट है।

श्री मतोलासिंह---जो रुपया किसानों का मारा गया है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जैसा अर्ज किया किसानों का रुपया है, किसानों को ही दिया जाता है। किसानों की ही समितियां हैं और उन्हीं का रुपया है। अपना लेन देन वे करती हैं ? कहीं घाटा होता है, कहीं कुछ होता है। सरकार हर चीज के लिये जिम्मेदार नहीं हो सकती।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)---जब सुपरवाइजर सरकारी होते हैं तो सरकार क्यों जिम्मेदार नहीं है और किसानों का रुपया जो मारा जा रहा है उसके लिये सरकार व्यवस्था करने जा रही है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सुपरवाइजर भी सरकारी आदमी नहीं होता है। यह जो यूनियन्स हैं कोआपरेटिव सोसाइटीज की उन यूनियन्स के मातहत ही ये सुपरवाइजर काम करते हैं और उन्हीं की नौकरी में वे होते हैं।

श्री शिवेन्द्रप्रताप---जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के होते हैं उनकी तनख्वाह सरकार देती है या सोसाइटीज देती हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह बात ठीक है कि वे सरकारी मुलाजिम हैं लेकिन उनका सोसाइटीज से सीधा संबंध नहीं होता। उनका काम सिर्फ उनके काम का इंस्पेक्शन करना होता है।

श्री नरसिंहनारायण---किसानों के ३७ हजार रुपये के मिलने की अब उम्मीद नहीं मालूम होती है और सुपरवाइजर उन कागजात को जलाने के लिये जिम्मेदार मालूम होता है, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया तो सुपरवाइजर के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जैसा मैंने आप से अर्ज किया वह पहला सुपरवाइजर था जिसके खिलाफ कुछ गड़बड़ी की शिकायतें थीं। उसको मुअत्तल किया गया और उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही की गयी। सी० आई० डी० की रिपोर्ट यह थी। उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिये हमारे विभाग की ओर से लिखा गया कि मुकदमा चलाया जाय। पुलिस के सुपुर्द मामला किया गया लेकिन डी० जी० सी० की राय आई कि जो थोड़े बहुत कागजात हैं इधर उधर, उनसे यह सबूत नहीं मिलता कि मुकदमा चल सकेगा। इसलिये विभागीय कार्यवाही करने की बात सोची गयी। जैसा मैंने आपसे कहा यह यूनियन की सर्विस में है। यूनियन को लिखा गया तो वह मुअत्तल किये गये और यूनियन के सुपुर्द यह कार्यवाही की गयी।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—इस तरह जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—वह कह चुके हैं कि सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—जब सी०आई०डी० की यह रिपोर्ट है कि तिवारी जी या कौन थे उन्होंने कागजात जलाये तो उस आधार पर उनके ऊपर कागजात जलाने का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कहा कि जो सी० आई० डी० की रिपोर्ट थी उस सम्बन्ध में आपने पूछा तो यह मालूम हुआ कि जो सबूत मौजूद है उस पर मुकदमा नहीं चल सकता ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सुपरवाइजर के खिलाफ किसानों ने यह दरख्वास्त दी कि वह गबन किये हुये हैं तो उस समय सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने यह कहीं जवाब में नहीं कहा कि किसानों ने कोई रिपोर्ट की कि गबन किये हुए हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार सहकारी समितियों में घाटे और गबन की रकम पर सरकार सब्सिडी देती है उसी प्रकार इस सोसाइटी को भी, जिस हद तक गबन और घाटा हो गया है, सब्सिडी देने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—घाटा और गबन पर सब्सिडी नहीं दी जाती है । जहां सोसाइटी को सब्सिडी देते हैं वहां जहां औरों का नुक्सान होता है वहां सरकार का भी नुक्सान हो जाता है क्योंकि पूंजी में सब जगह सरकार का भी हिस्सा रहता है इन सोसाइटियों में ।

श्री कल्पनार्थसिंह—जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि उक्त सुपरवाइजर ने ही कागजात जलाये और जितने कागजात बचे हुये हैं उनके आधार पर उस सुपरवाइजर के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चल सकता तो क्या कागज जलाने की इल्लत में भी उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा मैंने अर्ज किया, उन्होंने यह इशारा किया कि ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सुपरवाइजर का इसमें हाथ है, इसने ही जलवाया होगा लेकिन कोई इसका पूरा सबूत नहीं है ।

डी० जी० सी० को उन्होंने कहा कि जो बाकी कागजात बचे हैं उनसे अगर गबन का मुकदमा चल सकता है तो देख लीजिये, कागज जलाने का नहीं । वह देख लिया गया और डी० जी० सी० की राय है कि उनके आधार पर उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकेगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—जब केई लीगल केस नहीं चल सकता परन्तु यह भी सही है कि बहुत स्ट्रांग सस्पिशन है कि उसने कागजात जलाये होंगे तो कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही की मंत्री जी ने या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वह उन्होंने बता दिया कि मुअत्तल किया गया । जो और किया हो वह भी मंत्री जी बता दें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा मैंने अर्ज किया, विभाग से सुपरवाइजर को मुअत्तल किया गया । उसके बाद जो यहां प्रान्तीय स्तर पर यूनियन की एक दंड देने वाली कमेटी बनी हुई है उसको उसने अपील की और उसमें यहां से वह बरी हो गया ।

श्री रघुनाथसिंह--मंत्री जी के उत्तर से ऐसा ज्ञात हुआ कि उसकी मुअत्तली के बाद कागज जलने का काम हुआ । तो जिस सुपरवाइजर की देखरेख में ये कागजात थे उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उसका कोई दोष नहीं मालूम हुआ क्योंकि जो मौजूदा सुपरवाइजर था वह वहां नहीं था । उसकी गैर हाजरी में यह काम किया गया । जो पुराना सुपरवाइजर था उसके संबंध में शक होता है कि उसने यह काम कराया ।

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्तियां

*१२--**श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़)--क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में कुल प्रदेश भर में कितने सोशल वर्कर हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--हरिजन कल्याण विभाग .. ७५

समाज कल्याण विभाग .. ५२

*१३--**श्री मंगलदेव**--क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोशल वर्कर होने के लिये उम्र और शैक्षिक योग्यता का कोई आधार है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--कोई विशेष आधार नहीं है परन्तु कार्य करने की क्षमता तथा कुशलता देख ली जाती है ।

*१४--**श्री मंगलदेव**--क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार के वर्कर कभी रख लिये जाते हैं और कभी हटा दिये जाते हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जिन सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में कार्य की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती है वे हटा दिये जाते हैं ।

श्री मंगलदेव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस प्रकार से क्षमता और योग्यता की पहचान की जाती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--हर जिले के जिलाधीश से तीन नाम मांगे जाते हैं जो इस जिले के सामाजिक कार्यकर्त्ता होते हैं । उनके नाम भेजने पर उनमें से या और जो समझे जाते हैं कि ये पब्लिक के कार्यकर्त्ता हैं, उनको नियुक्त कर दिया जाता है, साल भर के लिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे प्रदेश भर में जितने सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं उनमें से कितने प्रतिशत हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--इसका कोई हिसाब नहीं लगाया गया है ।

श्री भोखालाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सोशल वर्कर के लिये शैक्षिक योग्यता का आधार न रखने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--इसका कोई विशेष कारण नहीं है और न यह आधार रखा जा सकता है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सोशल वर्करों को कितने रुपये महीने तनख्वाह दी जाती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इन सोशल वर्करों को आनरेरियम के रूप में जो-जो दिया जाता है वह इस प्रकार है कि हरिजन कल्याण विभाग में ७४ कार्यकर्त्ता हैं, उनको ५० रुपये मासिक दिये जाते हैं और एक डाक्टर नन्दलाल, इलाहाबाद के हैं उनको १०० रुपये देते हैं। समाज कल्याण में ५२ कार्यकर्त्ता हैं। कबाल टाउन्स वालों को १०० रुपये देते हैं और आगरा में एक के बजाय दो रखे गये हैं इसलिये उनको ५० रुपये के हिसाब से दिये जाते हैं बाकी और कार्यकर्त्ताओं को ५० रुपये दिये जाते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये हाई स्कूल या मिडिल क्लास की शैक्षिक योग्यता आवश्यक थी और प्रदेश में ऐसे सोशल वर्कर मिलेंगे जिनकी योग्यता इस प्रकार की होगी तो क्या कारण है कि जो सोशल वर्कर रखे गये हैं उनकी शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसमें कोई पढ़े लिखे की बात नहीं रखी गई है बल्कि जिनकी सामाजिक कार्य करने की क्षमता होती है उनके नाम वहां से आते हैं, उनको तजुर्बा होता है, इस आधार पर वे नियुक्त किये जाते हैं।

श्री काशीनाथ—अभी मंत्री जी ने बताया कि शैक्षिक योग्यता नहीं है केवल सामाजिक कार्य करने की क्षमता के आधार पर भर्ती किय जाते ह तो यह कार्य करने की क्षमता को नापने का माप दंड क्या है और क्या यह सही नहीं है कि जो जिले में ज्यादा सिफारिश पा जाते हैं नाते रिश्तेदारी के आधार पर या कांग्रेस पार्टी के आधार पर वे लोग ज्यादा भर्ती होते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसी कोई बात नहीं है। सिफारिश के आधार पर भर्ती नहीं होती बल्कि योग्यता के आधार पर होती है।

श्री श्यामलाल—इस डिपार्टमेंट में, जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, बहुत-सा करप्शन होता है ....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न क्या है ?

श्री श्यामलाल—अधिकारियों की इच्छा के अनुकूल जो वर्कर काम नहीं करते उनके खिलाफ किसी न किसी किस्म का आरोप लगा कर उनको निकालने का प्रयत्न किया जाता है, तो माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस वर्कर का कार्य संतोषजनक नहीं होता इसकी जानकारी के लिय कौन सा मापदंड है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जो हमारे समाज कल्याण अधिकारी हैं और जिलाधीश, उन लोगों की रिपोर्ट के अनुसार होता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ऐसे कितने सोशल वर्कर हैं जिनका सम्बन्ध नियुक्ति से पहले कांग्रेस पार्टी से या अन्य दूसरी पार्टी से रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह प्रश्न नहीं उठता।

*१५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—[हटा दिया गया।]

मोदीनगर इंडस्ट्रीज पर कथित बकाया कर

*१६—**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोदीनगर इन्डस्ट्रीज, मोदीनगर (मेरठ) की अलग-अलग इन्डस्ट्रीज पर कितना रुपया आय-कर का तथा बिक्री-कर का अब तक शेष है ?

श्री जयराम वर्मा—मोदी नगर की मोदी इन्डस्ट्रीज की किसी भी यूनिट पर बिक्री-कर का कोई बकाया नहीं है। आय-कर केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत होने के कारण उसके सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

*१७—**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया**—इस रुपये को शीघ्र वसूल करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

*१८—**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया**—क्या यह रुपया ब्याज सहित वसूल किया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह—आय-कर की वसूली की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर राज्य सरकार की है, तो क्या ऐसे कागजात सरकार के कब्जे में नहीं हैं जिनसे बताया जा सके कि उनके ऊपर कितना बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिसके आधार पर बता सकें कि इनके ऊपर बकाया है या नहीं और अगर है तो कितनी ?

श्री गेंदासिंह—मैं इस आधार पर पूछता हूं कि वित्त मन्त्रालय का रेवेन्यू से गहरा सम्बन्ध है और मैं समझता हूं कि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है और सारे आय-कर की वसूली की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, दूसरी कोई एजेंसी केन्द्रीय सरकार की नहीं है, तो क्या ऐसे कोई कागजात सरकार के कब्जे में नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है।

श्री गेंदासिंह—नहीं, नहीं, श्रीमन्। असेस करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। लेकिन जिस वक्त असेसमेंट हो गया, तो वसूल करने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर राज्य सरकार की है। सारे कागजात राज्य सरकार के कब्जे में हैं। तो उससे क्यों नहीं बताया जाता ?

श्री जयराम वर्मा—वित्त विभाग की कोई जिम्मेदारी उसको वसूल करने की नहीं है।

श्री गेंदासिंह—तो क्या मालगुजारी विभाग की है ? किसी की जिम्मेदारी है, आय-कर के वसूल करने की ?

श्री जयराम वर्मा—आय-कर के बारे में मैंने बताया कि वह तो केन्द्रीय विषय है, उसकी जानकारी हमारे पास है नहीं। उसके बारे में निश्चित सूचना नहीं दी जा सकती है।

*१९-२१—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

अरुणनगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी का कथित-पत्र

*२२—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा के अरुणनगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि० के सदस्यों ने सहकारिता मन्त्री के पास एक शिकायती-पत्र की G.T.Road के सहारे जमीन ३० साला लीज पर दी जा रही है, हाल में प्राप्त हुआ है, ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ

*२३—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार एक बड़ी धनराशि लखनऊ सहकारी दुग्धसंघ को लोन अथवा अनुदान के रूप में देने जा रही है? यदि हां, तो क्या संघ में व्याप्त तथा कथित भ्रष्टाचार को देखते हुए संघ में सरकारी प्रतिनिधि भी धन के रखरखाव की जानकारी रखने के लिये व्यवस्था करेगी?

श्री चन्द्रसिंह—इस संघ को चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख चालीस हजार रुपया (१,४०,००० रु०) जिसमें ६० प्रतिशत अनुदान तथा ४० प्रतिशत कर्ज है, दो दुग्ध संग्रह केन्द्र भवन के निर्माण के लिये दिये जाने का विचार है। इसके अतिरिक्त चार लाख पया (४,००,००० रु०) इस संघ से सम्बन्धित समितियों को अच्छी नस्ल के दुधारू पशु खरीदने के लिये ऋण देने की योजना है।

इस संघ का कार्य गत कई वर्षों से अच्छा तथा मुनाफे पर चल रहा है। सहकारी लेखा परीक्षण विभाग (Co-operative Audit Organization) ने किसी प्रकार की गम्भीर अनियमितता (Serious irregularity) नहीं पाई। दुधारू पशु खरीदने के लिये दिये जाने वाले ऋण के हिसाब की देख भाल के लिये संघ ने स्वयं एक विभागीय अधिकारी को डेपूटेशन पर मांगा है।

*२४—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डेरी उद्योग की देखभाल करने के लिये बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति के किसी उच्च अधिकारी की नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री चन्द्रसिंह—हां। दुग्ध शाला विकास अधिकारी (Dairy Development Officer) की नियुक्ति की गयी थी क्योंकि भूतपूर्व अधिकारी एफ० ए० ओ० (F.A.O) द्वारा इथोपिया में नियुक्त कर दिये गये थे अस्थायी नियुक्ति, डेरी की तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करने हेतु, करना आवश्यक थी क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पद पर अधिकारी का चुनाव करने में पर्याप्त समय लगता। अब लोक सेवा आयोग ने इस पद का विज्ञापन कर दिया है।

*२५—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार को मालूम है कि इस संघ के डायरेक्टरों का चुनाव इसके हिस्सेदारों द्वारा नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सरकार चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण कर संघ के हिस्सेदारों द्वारा। चुनाव कराने का आदेश देने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रसिंह—इस संघ के डाइरेक्टरों का चुनाव उसके हिस्सेदारों (संबद्ध समितियों के प्रतिनिधि) द्वारा ही होता है।

कलेक्टरेट से सरकारी खजाने में आये कर्मचारियों के सेवा नियम

*२६—**श्री बृजेश्वरसहाय** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी खजाने के कर्मचारियों की सेवा नियमावली सन् १९५८ से अब तक प्रकाशित की गयी या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं। सेवा नियमावली का आलेख्य तैयार हो गया है पर ऐसे नियमों को अन्तिम रूप देने के पहले नियुक्ति, न्याय तथा भाषा आदि विभागों से सम्पत्ति लेनी पड़ती है तथा लोक सेवा आयोग और महालेखापाल, उत्तर प्रदेश से भी परामर्श करना आवश्यक होता है। इसलिये खजाने के कर्मचारियों की सेवा नियमावली को अन्तिम रूप से प्रकाशित करने में अभी भी काफी समय लगेगा।

नोट:—तारांकित प्रश्न २३–२५ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२७—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्ट्रेट विभाग में सरकारी कर्मचारी अपना क्लास फर्स्ट व सेकेण्ड को छोड़कर कर सरकारी खजाने में क्लास थर्ड में आये और सरकारी खजाने की सेवा नियमावली न बनने के कारण उनको वेतन में कोई तरक्की मिली या नहीं ? यदि नहीं, तो उनके नुक्सान का कौन जिम्मेदार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कलेक्ट्रेट का कोई भी क्लर्क फर्स्ट और सेकेण्ड ग्रेड छोड़ कर खजाने में तृतीय ग्रेड में नहीं आया। अतः इस सम्बन्ध में शेष प्रश्न नहीं उठते।

*२८—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कर्मचारी कलेक्टरी से सरकारी खजाने में आये हैं उनको कलेक्टरी में वापस जाने का अधिकार है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—परिस्थिति विशेष में यदि कोई कर्मचारी कलेक्टरी वापस जाना चाहता है और मंडल का आयुक्त उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है तभी वह खजाने से कलेक्टरी वापस जा सकता है, अन्यथा नहीं।

*२९—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सहायक विकास अधिकारी (महिला) पद के लिये कथित विज्ञापन

*३०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतायेगी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा २० फरवरी, सन् १९६१ तथा २१ सितम्बर, सन् १९६१ को सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पद के लिये विज्ञापन निकाला गया था ? दोनों विज्ञापनों में कितने स्थानों की सूचना दी गई थी ? उनमें से कितने की पूर्ति हुई और कितने की नहीं, इसमें सुरक्षित स्थान कितने थे, क्या उसकी भी पूर्ति हुई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी नहीं। २० फरवरी, १९६१ तथा २१ सितम्बर, १९६१ को सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पद के लिये कोई विज्ञापन नहीं प्रकाशित किया गया।

*३१-३२—श्री उग्रसेन—[हटा दिये गये।]

*३३-३४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में मलेरिया इंस्पेक्टर्स

*३५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला में मलेरिया विभाग में कितने एम० आई० तथा एस० एम० आई० कार्य कर रहे हैं और वे एक ही स्थान पर कितने दिनों से हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—छः एम०आई० और छः एस०एम० आई० कार्य कर रहे हैं। एक सन् १९५६ से, पांच सन् १९५९ से, एक सन् १९६० से, चार सन् १९६१ से और एक जून, १९६२ से एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

*३६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि फ़र्रुखाबाद जिले में रहनेवाले कितने एम०आई० तथा एस० एम० आई० हैं और उनमें कितने ऐसे हैं जो अपने गांव में अपने घर पर ही हेडक्वार्टर बना कर रहते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—केवल एक इंस्पेक्टर फर्रुखाबाद जिले के ग्राम मदनापुर का रहने वाला है और फर्रुखाबाद सदर सब-यूनिट में कार्य कर रहा है। कोई इंस्पेक्टर अपने घर पर हेडक्वार्टर बना कर नहीं रहता।

*३७—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव**—क्या सरकार बतायेगी कि हाल में ही जिला फर्रुखाबाद में मलेरिया अफसर ने कोई चुनाव मलेरिया सुपरवाइजर तथा फील्डवर्कर का किया है? यदि हां, तो कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जाति के व्यक्ति लिये गये हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। ३१ सुपीरियर फील्ड वर्कर और १६३ फील्ड वर्कर का चुनाव हुआ जिनमें ५ सुपीरियर फील्ड वर्कर और ३६ फील्ड वर्कर हरिजन चुने गये। पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का बयोरा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा प्राप्त नहीं हुआ।

*३८-३९—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०-४२—**श्री द्विजेन्द्रनारायण** (जिला बाराबंकी)—[हटा दिये गये।]

*४३-४५—**श्री भीखालाल**—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६—**श्री दुर्योधन**—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७-४८—**श्री श्रीराम तिवारी** (जिला उन्नाव)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९-५०—**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

तहसील करहल में स्टेट बैंक की शाखा खोलने की प्रार्थना

*५१—**श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी तहसील करहल में जहां पर अनाज की मंडी है, क्या सरकार इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में वहां कोई स्टेट बैंक की शाखा खुलवाने का प्रयत्न करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—करहल में स्टेट बैंक की शाखा खोलने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*५२-५३—**श्री श्यामलाल**—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५४—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)—[हटा दिया गया।]

*५५—**श्री सुरजन** (जिला आजमगढ़)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

पंचायत आडिटरों के चुनाव में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थी

*५६—**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि हाल ही में कुछ पंचायत आडिटरों का चुनाव हुआ है? यदि हां, तो कुल कितने चुने गये और उनक नाम और योग्यतायें क्या हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पंचायत सम्प्रेक्षा संघटन में सम्प्रेक्षकों का चुनाव मार्च/अप्रैल, १९६२ में हुआ है। इसमें कुल ३२ अभ्यार्थी चुने गये जिनके नाम तथा योग्यतायें निम्नांकित हैं—

नाम	योग्यता	जाति
सर्वश्री		
१—कृष्ण चन्द्र तिवारी ..	.. एम०ए०	
२—श्री चन्द्र प्रसाद अग्रवाल	.. एम०काम०	
३—कृष्णानन्द ..	.. एम०ए०	
४—निजामुद्दीन ..	बी०काम०	
५—रामेश्वर लाल ..	.. एम०ए०	
६—श्याम नारायन सिंह ..	.. इंटरमीडियट	
७—शिव मोहन सिंह ..	.. बी०ए०	
८—शंकर लाल ..	.. एम०ए०	पिछड़ी जाति
९—नरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ..	.. बी०ए०	
१०—कृपा शंकर चतुर्वेदी ..	.. बी०ए०	
११—चन्द्र कान्त भट्ट ..	.. इंटर	
१२—सुरेन्द्र नाथ राय शर्मा ..	.. इंटर	
१३—ओरी राम ..	.. बी०ए०	पिछड़ी जाति
१४—कैलाश नाथ गुप्त ..	.. बी० काम०	
१५—सतीश चन्द्र पाण्डेय ..	.. बी०ए०	
१६—मुशर्रफ ..	.. इंटर	
१७—शिव बहादुर मिश्रा ..	.. इंटर	
१८—संकटा बक्स सिंह ..	.. बी०ए०	
१९—जमुना प्रसाद पांडेय ..	.. इंटर	
२०—राम शंकर लाल ..	.. बी०ए०	
२१—उम्मेद सिंह विष्ट ..	.. इंटर	
२२—भगवान सिंह ..	.. बी० काम०	
२३—राधे मोहन सिंह ..	.. इंटर	
२४—दिनेश चन्द्र पांडेय ..	.. इंटर, साहित्यरत्न	
२५—सोम दत्त शर्मा ..	.. इंटर	
२६—स्वराज्य प्रसाद गुप्ता ..	.. बी०ए०	
२७—फौरन सिंह ..	.. इंटर	पिछड़ी जाति
२८—विद्या सागर सिंह ..	.. बी०ए०	
२९—मोहम्मद शमीम ..	.. इंटर	
३०—मेवा लाल ..	.. एम०ए०	परिगणित जाति
३१—रघुनाथ आर्य ..	.. बी०ए०	परिगणित जाति
३२—शिव शंकर प्रसाद ..	.. इंटर	परिगणित जाति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपरोक्त ३२ अभ्यर्थियों में सर्वश्री चन्द्र प्रसाद अग्रवाल तथा सतीश चन्द्र पांडेय विभागीय प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हुये और श्री कृष्णानन्द प्रशिक्षण छोड़कर चले गये अतः इन तीनों अभ्यर्थियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये अन्य तीन अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिये चुने गये जिनके नाम तथा योग्यतायें निम्नलिखित हैं—

सर्वश्री

१—ज्ञान प्रकाश गुप्ता ..	.. इंटर	
२—रामबली यादव ..	.. एम०ए०	पिछड़ी जाति
३—जनकसिंह तोमर ..	.. बी०ए०	

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रघुनाथ आर्य (परिगणित जाति) भी प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हुये जिनका स्थान रिक्त ही रह गया ।

*५७—श्री सुखरामदास—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुने हुए व्यक्तियों में कुछ हरिजन और अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं ? यदि हां, तो कितने और कौन ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पंचायत सम्प्रेक्षकों के पद के लिये चुने गये ३२ अभ्यार्थियों में से ४ पिछड़ी जाति के तथा ३ परिगणित जाति के लोग हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं ।

सर्वश्री

१—शंकर लाल ..	.. ..	पिछड़ी जाति
२—ओरी राम ..	.. ..	,, ,,
३—फौरन सिंह ..	.. ..	,, ,,
४—रामबली यादव ..	.. ..	,, ,,
१—मेवा लाल	.. ..	परिगणित जाति
२—रघुनाथ आर्य ..	.. ..	,, ,,
३—शिव शंकर प्रसाद ..	.. ..	,, ,,

श्री रघुनाथ आर्य की प्रार्थना के अनुसार उनको २०-६-६२ तक का समय प्रशिक्षण को ग्रहण करने के लिये प्रदान किया गया था परन्तु फिर भी वह प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हुए और अंत में देरी हो जाने के कारण उनके स्थान की पूर्ति नहीं की जा सकी इस प्रकार केवल ३१ अभ्यर्थियों ने ही प्रशिक्षण ग्रहण किया ।

*५८—श्री रामसिंह—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रदेश के व्यापारियों पर बिक्री-कर का बकाया

*५९—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में तथा खासकर कानपुर में किन-किन लोगों पर कितना-कितना रुपया अब तक बिक्री-कर का बकाया है और उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे व्यापारियों के नाम, जिन पर बिक्री-कर का १ लाख अथवा इससे अधिक रुपया बकाया है, संलग्न सूची में दिये गये हैं । इन व्यापारियों के विरुद्ध कर वसूली की जो कार्यवाही अभी तक की गई है, उसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है । जहां तक ऐसे व्यापारियों का संबंध है, जिन पर १ लाख रुपये से कम बिक्री-कर का बकाया है, वांछित सूचना एकत्र करने में जो धन, समय और परिश्रम लगेगा, वह उक्त सूचना से प्राप्त होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८५५–८५६पर)

*६०—श्री ऊदल—[१०वें सोमवार के लिये प्रश्न १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६१—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६२-६४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन, वाराणसी पर बिक्री-कर का बकाया

*६५—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस की हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन और यू० पी० अल्मोनियम फैक्टरी पर कितना सेल्स टैक्स बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—"हिन्दुस्तान कार्मशियल कारपोरेशन, वाराणसी पर १,३२,८१२ रुपया ५० नै० पै० बिक्री-कर का बकाया है ।

यू० पी० अल्मोनियम फैक्टरी नाम की कोई फर्म वाराणसी में नहीं है ।"

*६६—श्री रामसिंह—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७—श्री हिम्मतसिंह—[१० वें सोमवार के लिये प्रश्न १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जेल डिपार्टमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ की दूकानों में गबन

*६८—श्री हिम्मतसिंह—क्या सहकारिता मंत्री दिनांक ५ मार्च, १९६२ के प्रश्न संख्या ३९-४० के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० जेल कोआपरेटिव सोसाइटी लखनऊ के अन्दर जो आटा चक्की, कपड़ा, गल्ले की दुकान में भारी गड़बड़ी व गबन है उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? उसमें उच्च पदाधिकारी Senior Vice-President का हाथ था या नहीं और क्या जांच C. I. D. द्वारा कराई जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वर्ष १९५५-५६ से ५८-५९ तक के यू० पी० जेल डिमार्टमेंन्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ का जो आडिट हुआ था उससे यह ज्ञात हुआ कि समिति ने आटा चक्की, कपड़ा व गल्ले की दूकानों का हिसाब किताब ठीक ढंग से नहीं बनाया । इस बारे में सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा भी छानबीन की गई तथा उप-निबन्धक (केन्द्रीय) सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अवैतनिक मंत्री, यू० पी० जेल डिपार्टमेन्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, लखनऊ को राय दी थी कि वह श्री बी० एन० ओझा (पार्टनर आटा चक्की) से दी गयी ज्यादा रकम को शीघ्र वसूल करें । सस्ते गल्ले की दूकान व कपड़े की दूकान के हिसाब किताब ठीक ढंग से बनाने का आदेश प्रबन्ध-कारिणी समिति, यू० पी० जेल डिपार्टमेंन्ट कोआपरेटिव सोसाइटी, लखनऊ ने अपने अवैतनिक मंत्री को दे दिया था । ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे कहा जा सके कि सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट का हाथ था या नहीं ? सी० आई० डी० द्वारा जांच नहीं कराई जा रही है ।

*६९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०-७२—श्री उमाशंकर—[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में ईंटों के सहकारी भट्ठे

*७३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सन १९५९–६० में कितने ईंटें के भट्ठे कोआपरेटिव विभाग द्वारा चलाये जाते थे और कितने १९६१–६२ में चलाये जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बस्ती जिले में सहकारी समितियों द्वारा १९५९–६० में १० और १९६१–६२ में ७ ईंट के भट्ठे चलाये गये ।

*७४—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—बस्ती जले में कोआपरेटिव विभाग द्वारा चलाये गये ईंट के भट्टों से सन् १९५९–६० में कितना मुनाफा हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सहकारी समितियों द्वारा चलाये गये भट्ठों को ३१,२४५ रुपये का लाभ हुआ ।

*७५—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कोआपरेटिव के भट्ठों को चलाने के लिये सरकार को १९५९–६० और १९६१–६२ में कितना कोयला मिला और शेष बचे हुये कोयले में से जो प्राइवेट भट्ठों को दिया गया, क्या मुनाफा हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बस्ती जिले में सहकारी भट्ठों को चलाने के लिये, १९५९–६० में ५,२४४ टन और १९६१–६२ में ४,९३३ टन कोयला मिला । बचा हुआ कोयला जो प्राइवेट भट्ठों को दिया गया, उससे उन्हें १९६१–६२ में १,५०२ रु० का लाभ हुआ ।

हैजा, चेचक तथा गैस्ट्रोएन्ट्राइटिस

*७६—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२ में प्रदेश के किन-किन जिलों में हैजे की बीमारी फैलने की सूचना सरकार को मिली तथा जिलेवार रोग-ग्रस्तों की तथा मृत्यु की संख्या क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सन् १९६२ मे केवल जिला हमीरपुर से ही हैजे होने की सूचना प्राप्त हुई और इस रोग से २४ लोग ग्रस्त हुए तथा २ की मृत्यु हुई ।

*७७—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२ में प्रदेश के किन-किन जिलों में चेचक की बीमारी फैलने की सूचना सरकार को मिली तथा जिलेवार रोग ग्रस्तों की संख्या तथा मृत्यु की संख्या क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५७—८५९ पर)

*७८—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२ में प्रदेश के किन-किन जिलों में गैस्ट्रो एन्ट्रोइटिस की बीमारी फैलने की सूचना सरकार को मिली तथा जिलेवार रोग-ग्रस्तों की तथा मृत्यु की संख्या क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५७—८५९ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये कर

*७९—श्री नरसिंहनारायण—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये वह किन-किन वस्तुओं पर कर लगाने जा रहे हैं और कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये कर लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय के पश्चात् कर का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

देहाती क्षेत्रों में ट्यूबवेल के पानी तथा छोटे उद्योग-धंधों पर कर लगाने का विचार

*८०—श्री नरसिंहनारायण—क्या वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल से किसान पानी लेते हैं या छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाते हैं उन पर अब टैक्स देना होगा ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कर लगाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

जिला सहकारी सभा लिमिटेड, फैजाबाद के फर्टीलाइजर के लाइसेन्स का नवीनीकरण

*८१—श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला फैजाबाद के अन्तर्गत एक सहकारी संस्था जिला सहकारी सभा लिमिटेड, फैजाबाद है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*८२—श्री जगदम्बाप्रसाद तथा श्री भीमाप्रसाद—क्या यह सत्य है कि जिला सहकारी सभा लिमिटेड, फैजाबाद का फर्टीलाइजर का लाइसेन्स ३१ दिसम्बर, १९६१ के बाद नवीनीकरण नहीं किया गया क्योंकि सभा ने सरकारी खाद की बिक्री का रुपया तथा आवश्यक लाइसेन्स फीस कई वर्षों का नहीं जमा किया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—३१ दिसम्बर, १९६१ के बाद लाइसेन्स का नवीनीकरण रोक दिया गया था, लेकिन २६-४-६२ को नवीनीकरण कर दिया गया।

*८३—श्री जगदम्बाप्रसाद तथा श्री भीमाप्रसाद—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त लाइसेन्स को उप-संचालक कृषि विभाग, फैजाबाद ने बिना सरकारी रुपया को लिये लाइसेन्स का नवीनीकरण कर दिया ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सभा पर प्रान्तीय कोआपरेटिव फडरेशन का अभी रुपया बाकी है। लाइसेन्स का नवीनीकरण, जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद द्वारा कर दिया गया है। उक्त सभा का ऋण संचालक मंडल कुव्यवस्था के कारण निलम्बित कर दिया गया है और एक ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया है।

मरदह नेशनल इन्टर कालेज, गाजीपुर के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*८४—श्री झिलमिट राम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मरदह नेशनल इन्टर कालेज, जिला गाजीपुर में इन्टर के द्वितीय वर्ष के कुछ हरिजन विद्यार्थियों को सन् १९६१-६२ की छात्रवृत्ति ११ माह की तथा कुछ को ९ माह की दी गई है ? यदि हां, तो कुछ को ९ माह की छात्रवृत्ति देने का कारण क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी हां । जो विद्यार्थी फेल हो गये थे, उन्हें पुनः कालेज में प्रवेश लेने के महीने से यानी जुलाई, १९६१ से मार्च, १९६२ तक केवल ९ माह की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई ।

*८५--**श्री विजयपाल सिंह तथा श्री ऊदल**--[२९ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिशें

*८६--**श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि आज तक करीब २ वर्ष बाद भी inadequate reservation of scheduled castes in government service के लिये निर्धारित कमेटी की report जिसमें Chairman श्री राधाकृष्ण (Public Service Commission) थे प्रकाशित नहीं हुई न उनकी सिपारिशों को कार्यान्वित किया गया और कब तक प्रकाशित होने की आशा है और कब तक सिपारिशों को मान्यता मिलेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद छपकर तैयार हो गया है और वह प्रकाशित कर दी गई है । उसकी सिफारिशों पर भिन्न-भिन्न विभागों में विचार हो रहा है और आशा की जाती है कि उन पर अन्तिम निर्णय करने और उसे कार्यान्वित करने में अब अधिक समय नहीं लगेगा ।

*८७--**श्री बालोजी अग्रवाल** (जिला आगरा)--[७वें सोमवार के लिये प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८८--**श्री लखपतराम शर्मा**--[सचिवालय प्रशासन (म) के पास विभाग निर्धारण हेतु भेजा गया है ।]

*८९--**श्री विजयसिंह**--[हटा दिया गया ।]

जिला सहकारी सभा, फैजाबाद द्वारा रासायनिक खाद की थोक बिक्री

*९०--**श्री भीमाप्रसाद तथा श्री जगदम्बाप्रसाद**--क्या सरकार को मालूम है कि जिला सहकारी सभा, फैजाबाद रासायनिक खाद का थोक विक्रेता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां ।

*९१--**श्री भीमाप्रसाद तथा श्री जगदम्बाप्रसाद**--क्या सरकार को मालूम है कि खाद की बिक्री का धन सभा ने सरकार को नहीं दिया और उक्त धन को अपने व्यवसाय में लगाया जिसका कि दुरुपयोग हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले पर क्या कार्यवाही कर रही है और इस समय सरकार को सभा से कितना रुपया पाना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सभा ने खाद की बिक्री का पूरा रुपया सरकार को नहीं दिया है और उसका कुछ रुपया सभा ने अपने व्यससाय में लगाया है जिसका कुछ दुरुपयोग हो गया है । मामला विचाराधीन है और छानबीन की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ

१--**श्री रामकिशोर**--क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ के पास भवन निर्माण धर्मादा फंड तथा अन्य इसी प्रकार के मदों में इस समय कितना धन है और इसे व्यय करने की क्या योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस संघ के पास इस समय (३० जून, १९६२ तक)

	रु०
भवन निर्माण के लिये	१,५९,३००
धर्मादा फंड में	३,८४०
तथा	
सुरक्षित कोष ..	
असद ऋण (बैड डेट्स) ..	५,६९,९६६
मशीनरी कोष तथा ग्राम विकास कोष में	

है। इन कोषों को संघ का संचालक मंडल आवश्यकतानुसार समय समय पर केवल उन्हीं कार्यों में खर्च करता है जिसके लिये फंड बनाये गये हैं।

२—श्री रामकिशोर—क्या इस डेरी उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को भी संघ के सदस्य बनने का अधिकार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

३—श्री रामकिशोर—क्या सरकार बतायेगी कि इस संस्था से संबंधित कौन-कौन जगहों पर कार्य हो रहा है और किन जगहों पर इसके विस्तार की योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस संघ का कार्य लखनऊ, हरदोई मार्ग पर बालामऊ तक, लखनऊ सीतापुर मार्ग-पर सिधौली तक, लखनऊ-बराबंकी मार्ग पर तिवारीगंज तक तथा लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग पर चौबिसी तक चल रहा है। फिलहाल उक्त क्षेत्रों में ही स्थित समितियों में दूध के उत्पादन बढ़ाने की योजना है। निकट भविष्य में किसी नये कार्य क्षेत्र में कार्य बढ़ाने की योजना नहीं है।

जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद

४—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद का बैलेन्स शीट सन् १९६०-६१ का अप्रैल, सन् १९६२ तक नहीं बन पाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। सन् १९६०-६१ की बैलेन्स शीट दिसम्बर, १९६१ में बन गई थी।

५—श्री महादेव—क्या यह सही है कि जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद का प्रबन्ध पिछले लगभग १२ वर्षों से ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक इस तरह का प्रबन्ध रहेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इस बैंक की माली हालत एक लाख पैंतालिस हजार रुपये के गबन के कारण बहुत खराब हो गई थी। बैंक की आर्थिक साधारण सभा के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार जून, १९५१ से प्रशासक नियुक्त किया गया है। अभी स्थिति पूर्णतया ठीक नहीं है। स्थिति ठीक हो जाने पर प्रशासक हटा दिया जायेगा।

६—श्री महादेव—क्या यह सही है कि जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद का टेलीफोन बैंक कार्यालय या ऐडमिनिस्ट्रेटर के यहां न लग कर अप्रैल, सन् १९६२ तक किसी अन्य अधिकारी के घर पर लगा हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बैंक के कार्यालय में टेलीफोन लगा हुआ है। इसका एक्सटेंशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के घर पर है।

सहकारी कर्जे की वसूली और वितरण

७—श्री महादेव—क्या यह सही है कि सहकारी कर्जे की वसूली में १० प्रतिशत वसूली खर्च लिया जाता है और वह रुपया वसूली पर लगे कर्मचारी आपस में बांट लेते हैं ? यदि हां, तो इसकी वसूली और वितरण किस नियम के अन्तर्गत होती है

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। ऐसी स्थिति में अन्य प्रश्न पैदा नहीं होते।

पंचायत आडिटर्स

८—श्री छांगुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में पंचायत आडिटरों के कुल कितने पद हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राज्य में आडिटरों के १६५ पद हैं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में दो प्रश्न आये हैं। एक माननीय काशीनाथ का है और दूसरा माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद का है। (श्री काशीनाथ से) अब आपको इस सम्बन्ध में क्या कहना है ? क्या अब भी इसको प्रेस करते हैं ?

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—दूसरा माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद का है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—इसको मुझे वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनकी ओर से इसको वापस ले लूंगा, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो दो विशेष बातें मैंने आपसे निवेदन की थीं उन पर आप जरूर विचार करने की कृपा करें और किसी समय अपना निर्णय उस पर अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि विरोधीदल के नेता ने बहुत महत्वपूर्ण बातें मेरे सामने रखी हैं। या तो मैं स्वयं उन पर विचार करके अपना निर्णय दूंगा या नियम समिति के सामने रख दूंगा। उसमें अवश्य कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है और आज विभिन्न दलों के नेताओं को मैंने आमन्त्रित किया है उनसे भी उस सम्बन्ध में परामर्श कर लूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं श्री टम्बेश्वरीप्रसाद की ओर से उनके प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आपका आमन्त्रण पत्र हमको प्राप्त नहीं हुआ है।

(हंसी)

प्रदेश के पूर्वी अंचल में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनमें दो प्रस्ताव, एक श्री कल्पनार्थसिंह जी का और दूसरा श्री अवधेशप्रताप जी का बाढ़ से संबंधित हैं। उनको मैं पढ़ कर सुना दूंगा, लेकिन उनको मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

माननीय राजस्व मंत्री इसके ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इसकी प्रतिलिपि उनके पास पहुंच जायगी तो वह अवश्य इसके ऊपर भी प्रकाश डाल देंगे।

एक और कामरोको प्रस्ताव माननीय चन्द्रबलीसिंह जी का है, वह भी बाढ़ से संबंधित है। वह इस प्रकार से है कि "देवरिया जिला के रुद्रपुर क्षेत्र में घाघरा, राप्ती, गौरा, मझने, बघुआ वसुहड़ा, नकटा, और कुआनो आदि नद, नदी और नालों से भयानक बाढ़ आ गई है। १४६ गांवों के खेतों में पानी समाया हुआ है। लगभग ८० हजार व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। लगभग ६६ हजार एकड़ जमीन पानी से डूबी हुई है। ८३ गांव चारों ओर से पानी से घिर कर टापू हो गये हैं। आना जाना नाव से ही सम्भव है। बहुत से गांव ३० जुलाई से ही पानी से घिरे हैं। आज तक न नावों का बन्दोबस्त है और न अन्य सहायता पहुंचाई गई है। अन्न और चारे का महान् अकाल है। हाहाकार मचा है। मनुष्य और जानवर उपवास पर उपवास कर रहे हैं। भुखमरी की हालत पैदा हो गई है और लोग तैर कर मदनपुर और रुद्रपुर बाजार आ रहे हैं। विषम परिस्थिति आ गई है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विचार हेतु सदन अपना आज का काम स्थगित करता है।

दूसरा एक माननीय कल्पनार्थसिंह का और अवधेशप्रतापसिंह का है। इसमें भी बहुत से नाम हैं.....

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, उसे पूरा पढ़ दिया जाय क्योंकि उसमें सरकार के खिलाफ कुछ ऐलीगेशन्स मैंने लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ रहा हूं। आप क्यों घबड़ा रहे हैं?

"सरकार के अदूरदर्शिता, अविवेक एवं अपरिपक्व नियोजन के फलस्वरूप जिसमें बड़ी गंडक के धार को गोरखपुर और देवरिया जिले में तीव्र कटाव करने एवं बाढ़ के लिये प्रश्रय दिया गया है, गोरखपुर जिले की महाराजगंज, फरेंदा, सदर और बांस गांव तहसील तथा देवरिया जिले की हाटा, पडरौना, सदर और सलेमपुर तहसील में बड़ी गंडक के पानी ने राप्ती, रोहिन, छोटी गंडक, घाघरा नदियों के द्वारा जहां एक ओर कई लाख एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित कर दिया है, वहीं छितौनी बांध, छितौनी स्टेशन, छितौनी मिल और गोरखपुर जिले में महाराजगंज सदर तहसील के अलावा बांस गांव तहसील में कनइल, मजगावां बांध, असवनपार पंपुल बाँध, और गोरखपुर शहर से सम्बन्धित मलौनी बांध जैसे प्रमुख बांधों की स्थिति खराब कर दी है। पडरौना तहसील के अमवाखास, पिपराघाट, विरवट तथा अहिरौली दान, बांस गांव तहसील के कनइल मजगावां, वेलकुर, रहकट, मेड़ी असवनपार, गरयाकोल, मझवलिया, सेमरा, नवलपुर, नेतवार, पवहरिया, देवरिया, सदर तहसील के नगवा, गयाघाट, पटवनिया, सलेमपुर तहसील के भदिला, कुरह, जुरिया, खेमादेइ, नधौली, कौसल जैसे प्रमुख गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। घाघरा से कोलघास, ज्ञानपुर, वरडिहा, डेरवा, ढुमरी, सीधेगौर, जयतपुर, खड़सरी, टेड़िया नाला बांध, नरहरपुर, बुढ़नपुरा, चील्लेपार, गोला कस्बा, गाय घाट, जैसे प्रमुख गांव संकटापन्न हो गये हैं। सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी कि वह बड़ी गंडक से नहर निकालते समय धोबहा नाले तथा उससे सम्बन्धित स्थान को जहां से बड़ी गंडक के गोरखपुर और देवरिया में मुड़ने का प्रश्न पैदा है, देख कर और भविष्य में इन स्थानों को क्षति न हो सके इसका अनुमान लगाकर एक सुनियोजित ढंग पर काम करती। जहां सरकार ने एक ओर अपने अदूरदर्शिता का परिचय दिया, वहीं जनता एवं जनप्रतिनिधियों की मांगों को इस सदन और सदन के बाहर ठुकरा दिया है जिसके फलस्वरुप आज कई लाख व्यक्ति ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गये हैं कि या तो वे शरणार्थियों से बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं या उसकी इन्तजार में चिन्तित हैं। सरकार ने इन बाढ़पीड़ित एवं कटाव पीड़ित जनता के प्रति उदासीनता का

[श्री अध्यक्ष]

परिचय दिया है। इससे इस इलाके की जनता में रोष, क्षोभ, एवं चिन्ता का वातावरण व्याप्त हो गया है।"

अब एक और माननीय नरसिंहनारायण जी का आया है ....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, इसकी कापियां हमको अभी मिली नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—जी हां, अभी भेजा है, आज मिल जायेंगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—जरा एक निवेदन है कि यह काम रोको प्रस्ताव जो हम लोगों ने दिया है माननीय अजयेश प्रताप जी ने और मैंने—यह किस शक्ल में और कब आ रहा है इसकी सूचना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो आपसे कहा कि कार्य-स्थगन के रूप में अस्वीकार कर दिया है। माननीय राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है और उनका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कोई नेचुरल कैलेमिटीज की बात नहीं है। मेरा यह स्पेसिफिक चार्ज है इस सरकार के खिलाफ कि इस सरकार की बदौलत गोरखपुर और देवरिया जिले के लाखों लोग बेघरबार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं मजबूर हूं यह कहने के लिए कि आप मन्त्री जी को आदेश दें कि वह एक निश्चित तिथि को इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है उसका स्पष्टीकरण करें अन्यथा यह कितना गम्भीर सवाल है। श्रीमन्, आज यह हालत वहां हो गई है . . . .

श्री अध्यक्ष—एक ही बात को बार-बार कहने से क्या फायदा है। जो कुछ कहना है सक्षम रूप से कहें।

श्री कल्पनार्थसिंह—मेरा यही निवेदन है कि दैवी आपत्ति जो आ जाती है और जो सरकार द्वारा प्रदत्त आपत्ति है दोनों में अन्तर है ....

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने लिख कर दिया है और मैंने उसे पढ़ दिया।

श्री कल्पनार्थसिंह—तो आप स्पष्टीकरण करा दें सरकार से।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मुमकिन है कि हमारी गलती से कुछ हुआ हो, लेकिन माननीय कल्पनार्थसिंह की सब्जकदमी से भी इस पर कुछ असर है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस संबंध में मैं आपके लिये और मंत्री जी के लिये सुझाव दे दूं कि प्रदेश का एक तिहाई भाग जो पूर्वी जनपद है वह बाढ़ से आक्रान्त है और यह एक गंभीर प्रश्न है। इसलिये आप समय नियत करके इस पर विवाद करा दें और मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें ताकि सभी तथ्य सामने आ जायं।

श्री कल्पनार्थसिंह—मेरा निवेदन पूरा नहीं हुआ था। मैं यह कहना चाहता था कि राजस्व मंत्री जी या सिंचाई मंत्री या मुख्य मंत्री जी, किसी के ऊपर मैं आक्षेप नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थिति गोरखपुर जिले में पैदा हो गयी है बड़ी गंडक की नहर बनाकर और दूसरे कामों से, उनको देखने से इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि यह बाढ़ सरकार द्वारा लायी गयी है ....

श्री अध्यक्ष—आप बार बार वही बातें दुहरा रहे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह---इसलिये मैं चाहता था कि आप इसके लिये दो घंटे के बाद विवाद का अवसर दें आप को इसका अधिकार है यदि आप कामरोको प्रस्ताव के रूप में इसे नहीं लेते तो नियम ५३ के अन्तर्गत इस पर बहस का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष---मैंने आपकी बात सुन ली । आप बैठ जायं । मैं इस संबंध में निवेदन कर दूं, जैसा कल्पनार्थसिंह जी ने कहा, मैं स्वयं इस बात को अनुभव करता हूं कि हमारे प्रदेश में एक स्थिति उत्पन्न हो गयी है और विशेषकर पूर्वी जिलों में, जिस पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन संप्रति मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ पर १० तारीख को बयान हो रहा है । अगर उसमें आवश्यकता होगी तो आप ५३ में सूचना दे सकते हैं और तब इस पर विचार किया जा सकता है । इस समय तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव इस समय नहीं आना चाहिये जबकि दो रोज के बाद माननीय राजस्व मंत्री का बयान इस संबंध में होने जा रहा है । उसके बाद मैं, इसको देखूंगा और मैं इस बात को जानता हूं कि ऐसी स्थिति है कि जो विचारणीय है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मेरी भी एक प्रार्थना आप से है कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा हिस्सा पूर्व का और पश्चिम का भी सूखे से पीड़ित रहा है । सूखे का प्रकोप पहले भी हुआ और उससे काफी हानि हुई है । तो जिस समय आप बाढ़ पर बहस के लिये समय दे रहे हैं, या जो भी आप तय करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी सरकार की ओर से बयान हो तो उस समय बाढ़ और सूखा दोनों से जो हानि हुई है उस सारे का विवरण दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---वह दोनों लिये जायेंगे ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---कामरोको प्रस्ताव की अधिक आवश्यकता इस लिये है कि उस इलाके में लोग पानी से घिरे हुए हैं और निकले नहीं हैं और न उनको कोई बाहरी सहायता ही मिल रही है । ऐसी अवस्था में दो दिन की ढिल उनके लिये खतरनाक हो सकती है । इसलिये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वक्तव्य होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे और उनसे निवेदन यह है कि इस पर विचार कर के उनके लिये व्यवस्था कर देंगे ।

श्री उग्रसेन---वहां नाव के बिना लोग डूब जायंगे तो माननीय मंत्री जी क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---बहस से तो कुछ नहीं होगा और नाव भी नहीं पहुंचेगी । आप बैठें और माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं फिर निवेदन करूंगा कि जो बाढ़ संबंधी सूचनायें मिल रही हैं उन पर ध्यान देकर शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करें ।

श्री उग्रसेन---रुद्रपुर में १७३ गांव ऐसे हैं कि जहां आप बिना नाव के नहीं जा सकते । यह आपने नहीं देखा ।

श्री अध्यक्ष---देखा है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, वह तो इसमें लिखा हुआ है ।

श्री उग्रसेन---अगर वह मर जायंगे तो उसकी जिम्मेदारी आप पर और सरकार पर होगी । मैं इसका नोटिस दे देता हूं ।

रिहन्द बांध के सिलसिले में काश्तकारों की ली गयी भूमि का मुआवजा न दिए जाने तथा उनको बसाने की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय नरसिंहनारायण जी का एक रिहन्द बांध के संबंध में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है इस पर मैंने जो आदेश दिया है वह इस प्रकार से है। कानून के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। कानून में क्षति पूर्ति की भी व्यवस्था है। अब उनकी शिकायत यह है कि जो काश्तकार भूमिहीन हैं और कर दिए गए हैं, लैंड ऐक्विजीशन के सिलसिले में, उनके मुआवजे का प्रश्न है। उनका व्यवस्था का प्रश्न है। कानून के अन्तर्गत जो हो सकता है वह होगा। हमारे सामने बहुत से प्रश्न हैं। बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। कानून में, लैंड एक्वीजीशन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। उस कार्यवाही के अतिरिक्त यदि कोई कुछ और सुझाव देना चाहे तो वह अल्पसूचित प्रश्न द्वारा हो सकता है। कार्य स्थगन द्वारा नहीं।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, जो २५ हजार अधिवासी किसान हैं उनकी जमीन रिहन्द बांध में ले ली गई। परन्तु अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, कोई पैसे का इंतजाम उनके लिए नहीं किया जा रहा है। वे भटक रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष—इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अल्पसूचित प्रश्न द्वारा इसका हल हो सकता है। नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने अविलम्बनीय नहीं माना और अस्वीकार कर दिया।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ में माननीय नरसिंहनारायण जी की एक सूचना मुझे महत्वपूर्ण लगी। एक माननीय चन्द्रजीत यादव की भी है, उसको भी मैंने राजस्व मंत्री जी के विशेष ध्यान के लिए भेज दिया है। यह जो माननीय नरसिंह नारायण जी की सूचना है वह इस प्रकार से है—

"लखनऊ शहर की करीब ७ लाख आबादी में ३०,००० से अधिक लावारिस कुत्ते जो जहरीले किस्म के हैं घूम रहे हैं। कारपोरेशन द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार गत वर्ष ३,६०० मामले जहरीले साबित हुए तथा इस वर्ष अब तक के आंकड़ों के अनुसार १,७७९ मामले हुए जिसमें १२२३ जहरीले पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इन कुत्तों के काटने से संक्रामक रोगों का विकास होगा तथा गले में घेंघे की बीमारियां तथा अन्य प्रकार के संक्रामक रोगों के होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। कारपोरेशन के अधिकारी इन कुत्तों की रोकथाम में अपने को असमर्थ पा रहे हैं जैसा कि डिप्टी मेयर की प्रेस विज्ञप्ति तथा सार्वजनिक अपील से ज्ञात है। अतः सरकार का ध्यान आवश्यक है।"

मैंने यह स्वीकार कर लिया है।

श्री नरसिंहनारायण—यह किस मंत्री के पास भेजा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—यह संबंधित मंत्री के पास भेजा जा रहा है। एक सूचना माननीय बिपिनबिहारी तिवारी जी की आई है और उसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है, लेकिन संबंधित मंत्री जी से अवश्य कहूंगा कि इस संबंध में एक वक्तव्य दे दें। आपकी सूचना इस प्रकार है—

"प्राप्त समाचारों के आधार पर विदित है कि इधर अनेक स्थानों पर अवैध रूप से एकत्र अस्त्र-शस्त्र तथा उनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुये हैं। फर्रुखाबाद, लखीमपुर जिलों में भारी तादाद में शस्त्र पुलिस द्वारा बरामद हुये हैं। फतेहपुर जिले के कुल्ली नामक स्थान पर अवैध गोले बरामद हुये हैं। गत ३–४ अगस्त को बदायूं से ११ मील दूर एक और स्थान ददमई में अवैध शस्त्र बनाने का कारखाना बरामद हुआ है। यहां बना और अधबना सामान भी मिला है। दूसरी ओर अनेक विदेशी नागरिक भी पकड़े जा रहे हैं। प्रदेश की जनता इन घटनाओं से किसी गुप्त षड़यंत्र का अनुमान करती है। इससे प्रदेश में अत्यन्त भय, चिन्ता तथा आतंक का वातावरण फैल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये ही स्वीकार किया है।

नियम ५२ के संबंध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री कब वक्तव्य देंगे?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, २० हजार कुत्तों के बारे में कहा गया है, जाहिर है कि इतनी जल्दी सूचना नहीं मिल सकेगी। वैसे जितनी मिल सकेगी मैं परसों दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—इसकी इतनी जल्दी नहीं है, जब आप पूरी सूचना मंगा लें तो दे दें। बिना पूरी सूचना के बयान कराना ठीक नहीं होगा।

माननीय गृह मंत्री जी, आप वक्तव्य कब देंगे?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह तो ६–७ दिन में सूचना मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—इसको फिर उसी हिसाब से रख दिया जायेगा।

प्रदेश में कत्ल, डकैतियों, चोरियों तथा अन्य अपराधों की संख्या में वृद्धि के संबंध मे नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना आई है जिस पर माननीय रामचन्द्र विकल, माननीय गिरधारी लाल, तथा माननीय मैनेजरसिंह के हस्ताक्षर हैं। यह इस प्रकार है —

"मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने की विधिवत लिखित रूप में सूचना देता हूं। प्रदेश में कत्ल व डकैतियां व चोरियां तथा अन्य अपराधों की संख्या में अधिक वृद्धि पिछले कुछ दिनों से हो गई है जिसके कारण जनसाधारण का जीवन खतरे में पड़ गया है और नगरों में तथा विशेषकर देहाती क्षेत्रों में भय व आतंक का वातावरण उत्पन्न हो गया है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन में चर्चा करना अनिवार्य है और माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना है कि वह कृपया नियम ५३ के अन्तर्गत इस सूचना को ग्रहण कर इस विषय के चर्चार्थ तिथि व ढाई घंटे का समय निश्चित करने की कृपा करें।"

इसमें जो बातें कही गयी हैं उनकी ओर विशेष रूप से सदन का ध्यान समय समय पर जाता रहा है। मैं इसको महत्वपूर्ण समझता हूं और इसलिये मैंने इसको स्वीकार किया है। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? मैंने इसके लिये दो घंटे का समय निर्धारित किया है।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, यह तो सारे प्रदेश की घटनाओं से संबंध रखता है, इसकी सूचना प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। २० तारीख के बाद इसको रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—इसको २० तारीख के बाद रखा जायेगा। इसके लिये मैंने ५ बजे से ७ बजे तक का समय निर्धारित किया है।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी दुर्घटनाओं के संबंध में भी सूचना मंगाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—कृपया बैठें, यह प्रश्नों का समय नहीं है।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—मैंने दफा ५२ का एक प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष—आपको मालूम होना चाहिये कि जब कोई नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो फिर दूसरा नहीं आ सकता।

श्री मैनेजर—बाढ़ से संबंधित है तो राजस्व मंत्री के सुपुर्द करें कि वह वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष—बाढ़ के संबंध में है, वह भेज दिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्री शिवनाथसिंह ने रेअन मिल्स, कानपुर के बारे में दिया था, उस पर मंत्री जी का क्या स्टेटमेंट है?

श्री अध्यक्ष—टाइम से दिया था? इसे टाइम के भीतर नहीं दिया होगा।

श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—टाइम से दिया था, साढ़े दस बजे से पहले।

श्री अध्यक्ष—मैं देख लूंगा।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—मैंने भी ५२ के अन्तर्गत दिया था कि वाराणसी में लगातार ४ डकैतियां हुईं, उनके बारे में मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य दिलाने की प्रार्थना की थी।

श्री अध्यक्ष—चूंकि नियम ५३ में हमने विवाद के लिये वह सूचना स्वीकार कर ली है तो वह तो बात आ ही जायगी।

जे० के० जूट मिल में तालाबन्दी के संबंध में श्री कल्पनाथसिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—अब तो आप इसको पेश नहीं करेंगे, सूचना आ गयी है।

श्री कल्पनाथसिंह—जहां तक सूचना आयी है उसके ऊपर मंत्री जी के वक्तव्य की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—कल माननीय सुचेता जी ने दिल्ली से फोन किया था। उन्हें विवश होकर कान्फ्रेंस में रुक जाना पड़ा, तो वह ९ के पहले नहीं आयेंगी। अगर ९ को आ गयीं तो १० को वक्तव्य हो जायगा, अन्यथा फिर उधर चला जायगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर होने वाले विवाद के संबंध में आपत्ति

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मुझे कुछ निवेदन करना है अगर आप आज्ञा दें। कल मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा था और आपको भी लिखा था। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में जो विवाद होने जा रहा है अब इसके ऊपर पालिसी पर डिबेट

तो है नहीं। पालिसी के फ्रेमवर्क के ऊपर डिबेट हो चुकी है। अब इम्पलीमेंटेशन के ऊपर डिबेट होगी और उस दृष्टि से हमारे पास न तो इवैलुएशन रिपोर्ट है, न एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है, न परफार्मेंस रिपोर्ट है। सरकार द्वारा यह भी सूचना नहीं दी गयी कि जो पैसा खर्च हुआ उसमें कितना अंश सेकेंड फाइव ईयर प्लान का लैप्स होकर आया हुआ है। वह यह कहते हैं कि इस संबंध में ब्योरेवार अपूर्ण आंकड़े आये हैं, पूर्ण आंकड़े संकलित करने में समय लगता है, आर्थिक विवरण के आंकड़े अवश्य आ गये हैं। पर परफार्मेंस और इम्पलीमेंटेशन में क्या होगा उस पर इससे कोई लाभ नहीं होगा। मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि विवाद तो, जहां तक योजना का सम्बन्ध है, बहुत से दृष्टिकोणों से किया जा सकता है और सुझाव भी उस संबंध में दिये जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इम्पलीमेंटेशन की दृष्टि से जब विचार होगा तो हम क्या सुझाव देंगे। इसलिये अगर मुख्य मंत्री जी मान लें कि अभी इस डिबेट को पोस्पोन कर दिया जाय और हम लोगों को पूर्ण जानकारी दें, फिर इस पर विवाद हो। और आज और कल के लिये मेरा निवेदन है कि हिन्दू कोड बिल और पंचायत राज एक्ट बाकी है, वह हो जाय।

एक पत्र पहले लिखा था मुख्य मंत्री जी को कि गन्ने की जो नीति निश्चित की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके मूल्य को रिकवरी बेसिस पर निर्धारित करने की, उस पर विवाद का समय दिया जाय। वह कल ९ को रख दिया जाय और १० को नान-आफिशियल डे चले। तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे सुझाव को मानें क्योंकि हम इस विवाद में कोई भाग ले ही नहीं सकते। जब परफारमेन्स के बारे में बिलकुल अनभिज्ञता होगी तो फिर हम क्या सुझाव देंगे? तो मेरा सुझाव मुख्य मंत्री जी स्वीकार करने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, यह जो पंचवर्षीय योजना के संबंध में विचार-विनिमय करने के लिये दो दिन रखे गये हैं उसका मुख्यतः तो यह उद्देश्य था और है कि जो योजना बाद में स्वीकार हुई उस पर विचार-विनिमय हो क्योंकि सदन ने पहले एक लम्बी-चौड़ी योजना के ऊपर विचार-विनिमय करके अपनी स्वीकृति प्रदान की थी परन्तु वह लम्बी-चौड़ी योजना मंजूर नहीं हुई, उसमें कांट-छांट हुई। अब प्रत्येक वर्ष हम योजना में कभी कभी साल भर के कार्य को देखकर या आवश्यकताओं को देखकर, उसके जो उद्देश्य हैं, इस माने में कि किसी चीज की पहले आवश्यकता है उसको लें, उसमें कुछ हेर-फेर करने का सुझाव प्लानिंग कमीशन को दे सकते हैं। तो यदि उस योजना पर जिसमें कुछ कांट-छांट हुई, इस सदन में विचार-विनिमय हो जाय और यदि उसमें किसी ब्योरे के अन्दर किसी चीज में, किसी डिटेल में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो या कोई सुझाव हो सदन के वह हम समझ लें। अब जहांतक इस बात का प्रश्न है कि पिछले वर्षों में हमने क्या किया, जैसा मैंने निवेदन किया है उसके आंकड़े संकलित करने में देरी लगती है। पिछले वर्ष हमने जो फाइनेंशियल टारगेट्स रखे थे उनकी सूचना तो हमारे पास है, लेकिन उससे वह मतलब उस माने में सिद्ध नहीं होगा जिस माने में विरोधीदल के नेता सिद्ध करते हुये देखना चाहते हैं। परन्तु जो तृतीय योजना हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर यह सदन विचार विनिमय कर सकता है और यदि उसपर दो दिन में विचार समाप्त न हो और और दिनों की आवश्यकता पड़े तो और दिन भी उस पर विचार कर सकते हैं। जिन अपूर्ण आंकड़ों की मैंने चर्चा की उनको यदि विरोधी दल के नेता चाहेंगे तो मिल जायंगे। मैंने विकास आयुक्त को आदेश दिये थे कि जो अपूर्ण आंकड़े हैं वह माननीय सदस्यों को दे दिये जायं। और उस जानकारी की बुनियाद पर इस विषय पर कोई बात सदन को करनी है, माननीय सदस्यों को कोई सुझाव देने हैं तो अपने विचारों को व्यक्त करते समय वह अपनी नजरों के सामने इन चीजों को रख सकते हैं और सदन में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि जो विषय हमने रखा है, यह आवश्यकीय है कि यह विषय सदन के समक्ष आ जाय और उसमें सदन के सदस्यगण जहां जहां कोई नये सुझाव प्रस्तुत करना चाहें वह कर दें,

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

उससे प्रत्येक सदन के सदस्य को लाभ होगा और एक नया प्रकाश और दृष्टिकोण जो माननीय सदस्य प्रस्तुत करना चाहेंगे वह भी हमारे सामने आ सकेगा।

तो मेरा नम्रतापूर्वक आपके द्वारा विरोधी दल के नेता से यह निवेदन है कि जो कार्यक्रम हमने आज रखा है उसको चलने दें और उसको यदि बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो किसी और दिन इस महीने में या अगले महीने में इस विषय को रख दें। प्लान का विषय एक ऐसा विषय है जिसमें सब पहलुओं को समझते हुये और प्रदेश की आवश्यकताओं को समझते हुये कुछ चीजों पर रीथिंकिंग कर सकते हैं।

केन्द्र में अभी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के विषय में चर्चा हुई थी। जो विषय वहां पर प्रस्तुत हुआ उसने कुछ हमारा ध्यान भी आमंत्रित किया, रीथिंकिंग के सिलसिले में। सदस्यगण अपना एक दृष्टिकोण उस क्षेत्र के संबंध में या अन्य पिछड़े हुये क्षेत्रों के विषय में रख सकते हैं जिससे जब हम केन्द्रीय सरकार के पास जायं और पिछड़े हुये क्षेत्रों का मसला आये तो उस दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत कर सकें जोकि इस सदन के माननीय सदस्यगण यहां प्रस्तुत करेंगे। उस जोर के साथ हम प्लानिंग कमीशन के सामने जायं और उनसे निवेदन करें कि उन्होंने जो धनराशि अभी तक हमें दी है या जिसकी स्वीकृति प्रदान की है उससे अधिक वे अपनी ग्रान्ट्स के जरिये से उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जिनको पूरा करने की नितांत आवश्यकता है, वे हमारे सदन के समक्ष प्रस्तुत की हुई मांगों को पूरा करें और एक नया दृष्टिकोण पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में रखें।

*डाक्टर जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह काफी गम्भीर सवाल हमारे सामने आ गया है। एक उसूली सवाल है। सभी मानते हैं कि बहस हो। इतना अहम और महत्वपूर्ण यह मसला है कि इस पर काफी बहस होनी चाहिये। और एक ऐसी बहस होनी चाहिये जो हल्की फुल्की न हो बल्कि भारी भरकम हो। आज यह संभव नहीं है, नामुमकिन है, ऐसी हालत में जब कि हमारे पास न तो कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है, न एवेल्यूएशन रिपोर्ट है, न एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है, और न कोई वर्क रिपोर्ट ही है। इस पर आप कह दीजिये कि इस पर बहस हो जाय, तो यह एक खिलवाड़ हो जायगी। हम यह चाहते हैं कि बहस उस हालत में होनी चाहिये जब कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स हमारे हाथ में हों और काफी समय उनको पढ़ने का हमें मिले।

मेरी राय यह है और मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि सरकार गम्भीरता से उस पर बहस करवाना नहीं चाहती। मैं इस नतीजे पर इसलिये पहुंचा हूं कि आपको याद होगा कि बीच में कुछ दिन ऐसे थे जब कि सरकार के पास कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन आज हमसे यकायक यह कह दिया कि इस पर हम अपनी राय दे दें, इस पर बहस करें, मैं इसको गलत चीज समझता हूं। हम सभी लोग थर्ड फाइव ईयर प्लान में इन्टेरेस्टेड हैं और सही मानें में हम चाहते हैं कि उस पर ढंग से बहस हो। लेकिन यह बहस इस वक्त नहीं हो सकती क्योंकि मेटीरियल कंडीशन्स उसके लिये नहीं हैं, खानापूरी के लिये कुछ करना चाहें तो दूसरी बात है, लेकिन हम बेकार की बात करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमें इवैल्यूएशन रिपोर्ट दे। हम इस सवाल पर इसलिये भी जोर देते हैं कि इस प्रकार की परम्परा यहां नहीं है। ऐसी रिपोर्ट यहां तैयार नहीं करायी जाती। पार्लियामेंट में हर चीज के लिये इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करायी जाती है जिससे हमें मालूम होता है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। पी० ए० सी० में हम मांगते हैं कि इतना खर्चा हुआ, उससे कोई टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, हमने कोई तरक्की की या नहीं की, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं लगता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्वी जिले बहुत पिछड़े हुये हैं, यह बात तो हम बहुत पहले ही कह चुके हैं, दसों बार कह चुके हैं। अब तो हमें यह मालूम होना चाहिये कि पूर्वी जिलों में आपने क्या काम किये, वह चीज हमारे सामने आनी चाहिये, तभी हम ठीक सुझाव आपके सामने रख सकते हैं। पश्चिमी जिलों के भी अपने सवालात हैं। मैंने पूर्वी जिले इसलिये कह दिया क्योंकि उसका जिक्र हुआ। यह जरूर है कि पश्चिमी जिलों के मुकाबले में पूर्वी जिले अधिक साधनहीन हैं, पिछड़े हुये हैं। लेकिन पश्चिमी जिलों के भी अपने सवालात हैं, उत्तराखंड के भी सवालात हैं। इसलिये आज यह बहस नहीं होनी चाहिये। एक माह के बाद या अगले सेशन में आप इसको ले लीजिये, तब तो हम बहस कर सकेंगे नहीं तो हमारे लिये बहस करना असंभव होगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने जहां तक मुख्य मंत्री जी को सुना वे हमारे शब्दों से कुछ बल लेना चाहते हैं और उसके द्वारा प्लानिंग कमीशन जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, उस अन्याय को रोकना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन के हाथ में एक हथियार हम लोग न दें। वे कहते हैं कि जो पैसा वे हम को देते हैं उस पैसे को खर्च करना हम लोगों को नहीं आया, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को और उसने यह कह दिया कि केंद्रीय सरकार का सारा कसूर है, उन्होंने हमको बैकवर्ड बनाया है, धन नहीं दिया है। यह हथियार उनके हाथ में देना मुनासिब नहीं होगा। हमको यह मालूम होना चाहिये कि वहां से जो भी पैसा हमको मिला है उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, हमको उसमें कौन कौन दिक्कतें आयीं और किन-किन स्थानों पर केंद्रीय सरकार ही उसका कारण बन गयी जिसकी वजह से उस काम को हम पूरा नहीं कर पाये हैं। न खुले शब्दों में, लेकिन ऐसे भारी भरकम शब्दों में, जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा, हमको बताया जाय, लेकिन बताया जरूर जाय। इस मर्तबा हम उन बातों को नहीं कहना चाहते हैं जिन बातों को हम हर बार कह चुके हैं कि हम गरीब हैं, पिछड़े हुये हैं। उन्होंने तो यह कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने आपकी हालत को देखकर इतना धन दे दिया कि आप आगे को छलांग मार जायं। लेकिन अब तीसरी योजना का डेढ़ साल का जमाना गुजर चुका है तो इस बीच हमने क्या क्या किया, किस प्रकार से हम अपने को जस्टीफाई करते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिये कि जो कुछ भी दूसरे स्टेटों ने किया उसमें हम पीछे नहीं रहे। लेकिन यह तो तभी हो सकता है जब कि हम अपने स्टेट की कारगुजारी को जान सकें, तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात होगी। अपनी वास्तविकता को हम सदन के सामने रख सकें, उसके लिये हमें कुछ तथ्य दिये जायं। आज जो बहस होने वाली है मैं समझता हूं कि बहस तो होगी, लेकिन हम लोग यहां बैठ कर उस बहस को सुनेंगे ही। हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी कंट्रिब्यूट नहीं कर पायेंगे, यह हमारी असमर्थता है। इसलिये हम कहते हैं कि इस बीच में जो कुछ भी किया गया है उसके तथ्य हमें दे दिये जांय।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बिलकुल इत्तफाक करता हूं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर यहां विचार किया जा सकता है और जिनको कहा जा सकता है, कहने लायक बहुत सी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि सिद्धांत की बातों पर तथा और बातों पर भी चर्चा हो सकती है और इस पर दो दिन के अन्दर सचमुच में अच्छी तरह से बहस नहीं हो सकती है, इसके लिये कुछ और ज्यादा वक्त मिलना चाहिये और फिर वक्त का सही इस्तेमाल हो जायगा। इस संबंध में माननीय दुबे जी और डाक्टर साहब ने जो कुछ कहा है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिस स्थिति में सरकार ने सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पर बहस हो,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

हम उस पर बहस नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि सरकार का जो योजना विभाग है उसने इसके पीछे कोई तैयारी नहीं की है और उसकी तरफ से एक पत्र भी माननीय सदस्यों के नाम नहीं आया कि किन किन बातों की तहत में इस योजना पर विवाद होगा। माननीय मुख्य मंत्री का जो पत्र मैंने माननीय नेता विरोधी दल के नाम देखा, उससे यह प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी सिद्धांत पर बहस करना चाहते हैं। श्रीमन्, आप जानते हैं और इस आदरणीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि जब योजना यहां बनी और केंद्र में बनी तो उसके सिद्धांत पर काफी बहस हो चुकी है और इस बहस में आप यह भी जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस सिद्धांत को काट नहीं सकते और न उसे बदल सकते हैं। पीटी पिटाई बातों को बार बार कहने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा तो सुझाव है कि माननीय सदस्यों को यह तथ्य दिये जायं कि इस योजना के अन्तर्गत कितना धन हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार से मिला और उसमें से कितने का कहां-कहां किस प्रकार से उपयोग किया गया और कौन-कौन क्षेत्र पिछड़े रह गये हैं। अगर ये सारी बातें हमारे सामने हों तो हम भी सही माने में योजना विभाग को सलाह दे सकते हैं कि कहां पर क्या-क्या करना आवश्यक है।

इसके साथ-साथ जितनी रिपोर्ट्स हैं, जितने लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है, उन सब की सूचना जब तक हमारे पास नहीं होगी हम बहस नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी योजना मंत्री भी हैं, एक तरह से अपनी पोल को छिपाना चाहते हैं और इस सदन को नहीं बतलाना चाहते कि डेढ़ साल के अन्दर इस दिशा में उनके विभाग ने क्या किया है। मैं उनकी पोल को उधेड़ना चाहता हूं और इसलिये इस बहस में हिस्सा लेना अपनी शान और नियम के खिलाफ समझता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की जो आपत्ति है उनमें से एक तो यह है कि उन्हें दिल्ली जाकर केन्द्रीय सरकार के सामने हाउस के विचार रखने हैं। उस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस समय तो यह डिबेट स्थगित कर दिया जाय क्योंकि हमारे सामने फर्स्ट इयर्स प्लान की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तो आयी, लेकिन उसके बाद सेकेंड फाइव इयर्स प्लान की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आज तक नहीं आयी और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नियुक्त जितनी इवेल्यूएशन कमेटी बैठी, उनकी रिपोर्ट भी हमारे सामने नहीं आयी। अगर केन्द्र में जाने की जल्दी है तो जितने विरोधी दल के नेता हैं उनका एक शिष्ट मंडल माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में दिल्ली जाय और अपनी सारी बातें उनके सामने रखे। क्योंकि जो शिष्ट मंडल होगा उसमें तो हर दल और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा और यह बातें पूरी हो सकेंगी। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि एक तो शिष्ट मंडल बन जाय, दूसरे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्दी मिल जानी चाहिये

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। सदन का समय बिलकुल नष्ट हो रहा है। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने तमाम विरोधी दलों की तरफ से एक बात आपके सामने रखी।

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। आपको चाहिये था कि आप यह कहें बहस समाप्त की जाय। लेकिन माननीय नेकराम शर्मा जी को कि कर ऐसी बात रखना अव्यवस्था है।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जब हम तृतीय योजना पर विवाद करने जा रहे हैं तो एक साल में कितना काम हुआ है उसकी भी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाय। इस प्रकार मेरे तीन सुझाव हैं। १—शिष्ट मंडल जाय, २—द्वितीय योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल जाय और तीसरे यह कि तीसरी योजना के प्रथम साल की काम की रिपोर्ट मिल जाय उसके, बाद बहस कर ली जाय।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—श्रीमन्, विरोधी दलों की तरफ से जो बातें कही गई उनको सुनने के बाद मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। केवल एक नई बात यह कहना चाहता हूं कि कुछ सदस्यों का ऐसा विचार है कि इस अवसर पर तृतीय योजना के पीछे जो सिद्धांत हैं उन पर विवाद हम नहीं कर सकते। मैं इससे अपनी असहमति प्रकट करता हूं। इससे पूर्व सदन जो कुछ भी रहा हो, जो कुछ भी विचार व्यक्त किये गये हों, उससे वर्तमान सदन किसी तरह अपने आपको बंधा हुआ नहीं समझ सकता। यह हमारा अधिकार है। हम सिद्धांतों पर भी बहस कर सकते हैं और जो हमसे पहले इसको स्थापित कर गये हैं यह जरूरी नहीं हम उन सिद्धांतों से बंधे रहें। हम नये विचार ले कर आये हैं और नये सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं।

दूसरी बात यह, जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, इसके लिये समय ज्यादा चाहिये। दो दिन से काम नहीं चलेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि हम सुनने के लिये तैयार हैं, तो मेरा सुझाव है कि दो दिन जो रखे गये इनमें सरकारी पक्ष के लोग भाषण देते रहें और हम सुनते रहें। उसके बाद दो दिन निश्चित कर दिये जायं और उसके पहले हमको सामग्री दे दी जाय तब हम अपनी बात कहें।

श्री अध्यक्ष—हमारी यह सूचना कार्यक्रम के सम्बन्ध में १८ जुलाई, १९६२ को जारी की गई। मैं नहीं जानता कब माननीय सदस्यों को मिली। मेरी कठिनाई जो इस समय है वह यह है कि यह सूचना प्राप्त करने के बाद और सदन के ३० जुलाई को एकत्रित होने तक और इधर ७ दिन तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी। पहली सूचना कल माननीय नेता विरोधी दल से मुझे मिली और माननीय जेड०ए०अहमद की मुझे आज ही सवेरे मिली। तो जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं समझता हूं यह उचित मेरे लिये नहीं होगा कि इस विषय को स्थगित करूं। यह सदन अगर स्थगित करना चाहता है और ऐसा निर्णय करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैंने अपनी विवशता बता दी। कल शाम को मैंने यह भी कहा था कि जो विधेयक उस समय चल रहा था वह २० तारीख को लिया जायगा। तो उस विधेयक को हम नहीं ले सकते। और माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि अन्य विधेयक जो हैं, उनको ले लिया जाय। तो उस सम्बन्ध में भी वही आपत्ति उठायी जा सकती है कि हम उसके लिये तैयार हो कर नहीं आये। तो मैं अपने आपको असमर्थ पाता हूं। नेता सदन इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं, मैं जानना चाहूंगा?

श्री संतसिंह युसुफ (जिला कानपुर)—श्रीमन्, पहले मुख्य मंत्री जी की बात सुन कर अपनी राय देते तो अच्छा रहता।

श्री अध्यक्ष—मैंने अपने बारे में बताया कि मैं स्वयं सदन को स्थगित करने में विवश हूं, अब अगर सदन तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, यह पूरा कार्यक्रम ३० तारीख को सभी सदस्यों को वितरित किया जा चुका है जिसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विवाद भी सम्मिलित था। यह जो अभी आपत्ति की गयी है कि इस पर विवाद करना सम्भव नहीं है, जहां तक इमप्लीमेंटेशन का सवाल है बजट में हमेशा मौका मिलता है। प्लान्ड और नान-प्लाण्ड सब आइटम्स इसमें आते हैं। जहां तक सवाल है कि पहली मर्तबा ड्राफ्ट आउटलाइन पर बहस हुई....

श्री अध्यक्ष—यह बहस तो नहीं छिड़नी चाहिये। सीधी बात यह है कि जहां तक कानून और नियम का सवाल है वह मैंने बतलाया। अभी आपके सामने माननीय नेता विभिन्न दलों एक पक्ष रखा है, वह पक्ष आप स्वीकार कर सकते हों तो सदन उठ सकता है। अगर नहीं स्वीकार करते तो मैं फिर सदन की राय लेकर ही वैसा कर सकता हूं। लेकिन यह बहस कि ३० तारीख को ही यह सब मालूम हो गया था यह टेक्निकल बात है। उसकी पाबन्दी मेरे ऊपर है। आपसे जानना चाहता हूं कि आपको अब क्या कठिनाइयां हैं?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा तो समझता हूं कि जो दृष्टिकोण माननीय विरोधी दल के नेताओं ने प्रस्तुत किया है उसके उत्तर में मैं कुछ कहूं और उसके बाद अपने विचार प्रकट करूं। जो आपत्तियां अभी विरोधी दल के नेताओं ने इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के वादविवाद के सम्बन्ध में उठाई हैं और जो उक्तियां उन्होंने सदन के समक्ष प्रस्तुत की हैं मैं ऐसा मानता हूं कि वे न्यायसंगत नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य ऐसा चाहते थे, विरोधी दल के नेतागण, कि इस विषय पर बहस न हो तो जैसी कि अभी सूचना दी गयी, ३० तारीख को हम इकट्ठा हुये थे। उसी दिन हमसे कहा जा सकता था कि जब तक कि आंकड़े सब उपलब्ध न हो जायं तब तक इस सम्बन्ध में कोई बहस नहीं करनी चाहिये। हमारे सामने पिछले वर्ष १९६१-६२ का बजट पेश हुआ और इस साल जब १९६२-६३ का बजट पेश हुआ तो उस बजट को प्रस्तुत करते समय विभिन्न विभागों ने एक वर्ष के अन्दर जो कार्य किये उन सबकी समीक्षा रिपोर्ट में कर दी जाती है कि जो माननीय सदस्यों की मेजों पर रख दी जाती हैं और जिनका माननीय सदस्य अध्ययन करके आते हैं और वादविवाद में हिस्सा लेते हैं। अब इस साल भर में क्या हुआ और उसके आंकड़े क्यों उपलब्ध नहीं हैं तो हमारे माननीय सदस्यों को थोड़ा बहुत तजुर्बा है, वह अच्छी तरह जानते हैं कि आंकड़े एक दिन में तैयार नहीं होते। गांव से आंकड़े बनना शुरू हुये और जिले, स्टेट व डिपार्टमेंट के लेविल पर आते आते उनमें काफी समय लगता है, उनका संकलन करने में समय लगता है। पिछले वर्ष क्या हुआ? इसके आंकड़े तो जब हम बजट पेश करेंगे तब प्रस्तुत करेंगे और यह हमेशा परिपाटी रही है पिछले वर्षों के कार्यों के बारे में।

जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, उसके अन्तर्गत क्या कार्य हमने किया, कितनी कमियां रह गयीं और कौन कौन कमजोरियां रहीं वे सब इस सदन के सामने आ चुकी हैं। तो मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि यह मांग कि इस वर्ष के आंकड़े हमने अभी नहीं दिये इसलिये वह वादविवाद में कोई हिस्सा नहीं ले सकते और उनको दिक्कतें हैं इसे मैं सही नहीं मानता। मैंने पहले भी कहा था कि सम्पूर्ण आंकड़े जो उपलब्ध हैं उन्हें मैं बटवा सकता हूं सदस्यों के बीच में। अब वह नहीं चाहते कि इस पर बहस हो जबकि मांग उधर से ही थी कि इस पर बहस हो और उस मांग को पूरा करने के लिये मैंने सूचना मंत्री से कहा था कि वह कृपया दो दिन इस कार्य के लिये निकालें, क्योंकि मांग जून के महीने में की गयी थी और माननीय सदस्यगण इस पर बहस करना चाहते थे और अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते थे उस कारण से हमने यह कार्य रखा है। अब प्रश्न यह है कि दो दिन हम कार्य क्या करें? आखिर को हमने सदन बुला रखा है, जनता के पैसे का हमें दुरुपयोग तो नहीं करना है। तो यदि आप जाजत दें, चूंकि आप लोगों का आग्रह है, इसलिये जो बिल कल चल रहा था वह चले।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा स्पष्ट प्रश्न और निवेदन आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से किया था। उन्होंने काफी भाषण दे डाला, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि हमारे उस सुझाव को वे मानने को तैयार हैं या नहीं? इसका बहुत स्पष्ट उत्तर "हां" या 'नहीं' में हो सकता था। उन्होंने तो वह नीति अपनायी, श्रीमन् जानते हैं कि जब क्लेवर लाइयर होता है और उसका मामला थोथा होता है तो He abuses his opposite कृपया आप उसका उत्तर दिला दें तो मैं अपनी बात फिर कहूं।

श्री अध्यक्ष---मैं उसका उत्तर इस तरह से तो नहीं दिला सकता

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं आपसे तो नहीं पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष---इस तरह से सवाल जवाब नहीं होता। आप जो कुछ कहना चाहें कह लीजिये, मैं सदन का मत ले लूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त---सदन का मत लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत ही स्पष्ट सवाल है। मैंने पार्लियामेंटरी पद्धति में आज यह पहली बार देखा कि सरकार या मुख्य मंत्री का मन्तव्य क्या है, उसका स्पष्टीकरण स्पीकर देता है। मुझे बड़ा दुःख है कि मुख्य मंत्री

जी ने नीयत पर आक्रमण किया। उन्होंने पहले कहा कि मैं नेता वरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि बहस चलने दें। यानी मैं उसमें रोड़ा अटका रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---नहीं, यह मतलब नहीं था....

श्री यादवेन्द्रदत्त---आप मुझे कह लेने दें। वैसे अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूं भी नहीं।

श्री अध्यक्ष---नहीं, नहीं। आप कहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैं मुख्य मंत्री जी की नीयत पर आक्रमण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस स्तर पर उतरने के लिये तैयार नहीं हूं, परन्तु यह जरूर कहूंगा कि आज हम लोगों को पूर्णरूपेण रिपोर्ट्स न देने के माने यह हैं कि मुख्य मंत्री केवल यह दिखाना चाहते हैं कि विरोधी दल के लोग कुछ नहीं जानते हैं औरकेवल अपनी भूमिका टैक्सेशन के बारे में बनाना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में सुझाव चाहते हैं, प्रायोरिटीज की बात उन्होंने कही, कि किसको प्रायोरिटी दी जाय, तो हमारे सामने सारी रिपोर्ट्स आनी चाहिये। और अगर मुख्य मंत्री संख्या के बल पर जबरदस्ती एक तर्क-शुद्ध और न्याय संगत बात को दबाना चाहते हैं तो मैं आपसे यह बिलकुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना की सफलता में जितना प्रेम उनको है उतना ही हमको भी है, परन्तु यदि वे हमारी सही बात को दबाना चाहते हैं तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम वाक आउट तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम सदन की और आपकी भी मर्यादा रखेंगे, परन्तु इस वाद-विवाद में कोई भाग नहीं लेंगे और उन्हीं लोगों पर छोड़ देंगे कि वे अपना वाद्य और वादन खुद करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने तो आखिर में यही निवेदन किया था कि हमको तो सूचना पहले से दी नहीं कि वह इस पर बहस नहीं चाहते। अब अगर आप आज्ञा दें तो जो बिल कल चल रहा था उसको चलायें।

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री जी, कल वाला काम चल सकता है या नहीं, या उसके बाद कौन सी कार्यवाही हो सकती है, यह तो मैं निर्णय तब करूंगा जब आप कह देंगे कि इसको मुल्तवी किया जाय। पहले से कोई शर्त मैं दे दूं, अगर वह आप चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे एजेन्डे में नहीं है उसको मैं किस तरह से ले सकूंगा, मुझे नहीं मालूम।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तो मैं इस चीज का तो पार्टी नहीं हो सकता कि दो दिन के लिये सदन स्थगित हो जाय और हम लोग बेकार बैठे रहें और बेकार में जनता का दो दिन न बैठने के कारण रुपया अपव्यय करें। यदि और कार्यक्रम चल सकता है तो चूंकि विरोधी दल के नेतागण आज इस पर बहस करना नहीं चाहते हैं मैं कोई आपत्ति नहीं करता, आप दूसरा कार्यक्रम आज का चलाइये।

श्री अध्यक्ष---जहां तक मैं समझा हूं, मुख्य मंत्री जी का यह मतलब है कि अगर विरोधी दल तृतीय पंच वर्षीय योजना पर बहस नहीं करना चाहता है तो वे भी उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या यह ठीक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ठीक है।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि यह हम लोगों के साथ ज्यादती है। कभी भी नेता विरोधी दल ने यह नहीं कहा कि हम बहस नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदा सिंह जी, आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि नेता विरोधी दल नहीं चाहते हैं कि इस पर बहस हो। यह गलत बात है। आज इसको स्थगित किया जाय और उसके स्थान पर और जो विधेयक हैं, जैसे पंचायत राज्य ऐक्ट वगैरह.....

श्री अध्यक्ष---वे नहीं आ सकते।

श्री यादवेन्द्रदत्त---आपने कहा कि और काम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---मैंने यह कहा कि और काम सदन की इच्छा से हो सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---श्रीमन्, यह गलत बात है कि हमें आंकड़े न दिये जायं और हमारी नीयत पर हमला किया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं यह कह रहा हूं कि आज की बैठक में जो विषय रखा है उस पर विचार करने के लिये सदन तैयार नहीं है। इसलिये आज की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

(कुछ क्षण ठहर कर)

कल को वही विषय होगा जो दोनों तरफ से कहा गया है, यानी जो हमारे विधेयक रह गये हैं उनके ऊपर विचार होगा। तो कल वे ही विधेयक आयेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
८ अगस्त, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१३ पर)

नाम गांव जहां आबादी कटी और हरिजन परिवार भी प्रभावित हुये।	नाम गांव जहां उन्हें बसाने का प्रयत्न हो रहा है।
१—गायघाट	
२—रसूलपुर मिश्र	
३—भूलनचक	
४—नकौड़ी	बेलाघाट
५—भरोली	
६—लच्छीचक	
७—नरगडा जंगासिंह	
८—बगहा	पटना,
९—कोल	दस्तबलिया
१०—नवलपुर	नवलपुर
११—जैतपुर	कोहड़ाभावर
१२—सेमरा	सेमरा
१३—नदुआ	नदुआ

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१५ पर)

नाम समिति	नाम सदस्य संचालक मंडल
१—विनोहिनी ..	(१) श्री जिकिरिया खां, (२) श्री अजमतुल्ला खां, (३) श्री मुहम्मद सईद खां (४) श्री मुहम्मद हक़ खां, (५) श्री हबीबुल्ला, खां ।
२—श्रीनगर ..	(१) श्री सत्येन्द्र शर्मा, (२) श्री नागेश्वरप्रासद पाण्डेय, (२) श्रीमती विद्यावती कौशिक, (४) श्री निरंजन देव शर्मा (५) श्री भगवतीसिंह यादव ।
३—कटैयामारी ..	(१) श्री बोली मुहम्मद, (२) श्री देवराज मिश्र, (३) श्री गोरखनाथ, (४) श्रीराम सूरत, (५) श्रीमती कमला देवी ।
४—हरिहरपुर ..	(१) श्री अजमतुल्ला खां, (२) श्री छेदीराम, (३) श्री रमजान अली, (४) श्री बादुल्ला खां, (५) श्री रियासत ।
५—मल्डांव ..	(१) श्री रामसुमिरन सिंह, (२) श्री चतुर सिंह, (३) श्री राजाराम सिंह, (४) श्री महेश सिंह, (५) श्री शम्भूसिंह ।
६—तुलसीपुर ..	(१) श्री कामता प्रसाद दुबे, (२) श्री पारसनाथ दुबे, (३) श्री व्रजराज, (४) श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे, (५) श्री ज्वाला प्रसाद ।
७—पड़री कृपाल ..	(१) श्री रामदत्त तिवारी, (२) श्री रामसमुझ मिश्रा, (३) श्री बासदेव, (४) श्री ओम प्रकाश, (५) श्री रोशन अली ।
८—गुलरहा ..	(१) श्री बी० पी० शर्मा, (२) श्री माधो राज दुबे, (३) श्री गंगा प्रसाद दुबे, (४) श्री नारायणदत्त दुबे, (५) श्री चन्द्रिका प्रसाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम सदस्य		नाम सदस्य संचालक मंडल
९—उदबतनगर	..	(१) श्री सुखनन्दन सिंह, (२) श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, (३) श्री कामता सिंह, (४) श्री उदय प्रताप सिंह, (५) श्री रामचन्द्र ।
१०—लेदेहना ग्रष्ट	..	(१) श्री करुणाकर नेयर, (२) श्रीमती शकुन्तला नेयर, (३) श्री कृष्ण देव बैज, (४) श्री भारती नेयर, (५) श्री कमलाक्षी नेयर ।
११—आजादनगर	..	(१) श्री अब्दुल जब्बार खां, (२) श्री अमानल्ला, (३) श्री अब्दुल अजीम, (४) श्री अब्दुल हफीज, (५) श्री अब्दुल रहीम ।
१२—डोमाकल्वी	..	(१) श्री यदुनाथ पांडे, (२) श्री प्रेम नाथ पांडे, (३) श्री सिद्ध नाथ, (४) श्री राम भरोसे, (५) श्रीमती राजकुमारी देवी ।
१३—खरैया चौबे	..	(१) श्री त्रिमोगी नरायन दुबे, (२) श्री पारसनाथ दुबे, (३) श्री ज्वाला प्रसाद दुबे, (४) श्री लक्ष्मीनरायन दुबे, (५) श्री प्रसिद्ध नरायन ।
१४—बेलवानोहर	..	(१) श्री बृजराज दुबे, (२) श्री माधोराज दुबे, (३) श्री रामेश्वर प्रसाद, (४) श्री खिरोधर सिंह यादव, (५) श्री बढ़ई सिंह यादव ।
१५—लालपुर घौतला	..	(१) श्री प्रेमनाथ पाण्डेय, (२) श्री यदुनाथ पाण्डेय, (३) श्री जगदम्बा प्रसाद अवस्थी, (४) श्री निहाई, (५) श्री सुबेदारसिंह ।
१६—उटिया मरेहिया	..	(१) श्री अम्बिका सिंह, (२) श्री रघुराज सिंह, (३) श्री रामलोचन सिंह, (४) श्री रामनरेश सिंह, (५) श्री बैनी ।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१५ पर)

नाम समिति	आय	व्यय	अनुदान
वर्ष १९५८–५९			
१—श्रीनगर	१,८३८.६२	१,५१५.८२	..
२—कटैयामारी	२,१७६.४१	१,९९०.४७	१०००
३—बिनोहिनी	२२.६२	२२.६२	..
४—हरिहरपुर	७४०.००	१४४.००	..
५—गुलरहा	९०२.००	६०५.००	..
६—पड़री कृपाल	८८.००	१५.५९	..
७—डोमा कल्वी	२,३९३.७५	२,५६५.००	..
८—तुलसीपुर	२०,८३९.००	२०,८४६.००	१०००
९—मलाव	४५१.५६	४४५.९३	..
वर्ष १९५९–६०			
१—श्रीनगर	५१५.००	७५९.७५	..
२—कटैयामारी	४,६६१.६७	४,४६७.४४	..
३—बिनोहिनी	५९४.९४	४५५.९९	..
४—हरिहरपुर	५,९८२.१२	६,४३६.११	..
५—गुलरहा	१,०३६.००	१,३२१.०२	..
६—पड़री कृपाल	४१.०९	१२.८०	..
७—डोमा कल्वी	२,१४९.५०	२,१५१.११	..
८—तुलसीपुर	६,५८७.५७	६,५८९.६४	..
९—मलाव	१,११६.२५	१,१०८.६८	..
वर्ष १९६०–६१			
१—श्रीनगर	४,२९७.५६	४,३०८.७३	..
२—कटैयामारी	२,४५२.९९	२,९३६.६३	..
३—बिनोहिनी	३६८.९३	५१३.१०	..
४—हरिहरपुर	६,९३३.२८	६,९१८.३७	..
५—गुलरहा	५५६.००	५०७.००	..
६—पड़री कृपाल	०००.००	०००.००	..
७—डोमाकल्वी	३,४८२.००	३,४८०.००	..
८—तुलसीपुर	१,३१९.१२	१,३९६.१५	..
९—मलांव	४९२.१६	४९२.१६	..
१०—आजादनगर	९,८९६.७५	९,६४७.४७	..
११—उदवतनगर	३,६३९.००	२,६३३.९०	..

चतुर्भुज शर्मा,
सहकारिता मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३० पर)

१ लाख अथवा इससे अधिक बिक्रीकर के बकायेदारों की सूची

क्रम-संख्या	बकायेदार का नाम	धनराशि
	मेरठ क्षेत्र	रु० रु० न० पै०
१	सर्वश्री रजा टैक्सटाइल्स कम्पनी लि०, रामपुर ..	१,१०,३९६.००
२	,, वनस्पति इन्डस्ट्रीज, गाजियाबाद	१,९९,५६७.००
३	,, भवानी प्रसाद सीताराम, क्लाथ सी० ए०, देहली ..	१,०४,३११.००
४	,, जय नरायन टीकाराम, बुलन्दशहर	७,२६,४४२.००
५	,, हर प्रसाद शिवदत्त राय, बुलन्दशहर	२,३७,७२४.००
६	,, प्रकाश चन्द अग्रवाल, बजाज, दादरी	१,३७,२३८.००
७	,, अग्रवाल क्लाथ मर्चेन्ट, बुलन्दशहर	५,४४,५५९.००
	लखनऊ क्षेत्र	
८	सर्वश्री विशम्भर दयाल राधेश्याम, गनेशगंज, लखनऊ ..	१,१५,५९०.००
९	,, गवर्नमेंट प्रीसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ ..	१,६३,७२९.००
१०	,, रामचन्द एण्ड सन्स, सुगर मिल्स, बाराबंकी ..	१,६३,८२७.००
११	,, श्री रामभजनलाल गुप्ता, बेजीटेबुल घी इम्पोर्टर, आलमगिरगंज, बरेली	१,२२,६५९.००
१२	,, विक्रमा काटन मिल्स, लि० तालकटोरा रोड, लखनऊ ..	१,२५,८७८.००
१३	,, फर्जुलर रहमान एन्ड सन्स बीड़ी डीलर, चौक बाजार, बरेली	२,११,५०७.००
१४	,, एल० बी० लछमन दास सुगर एण्ड जनरल मिल्स, जरवल, बहराइच (सेंट्रल)	२,६२,८४६.००
१५	,, बनारस काटन एण्ड सिल्क मिल्स, लि०, चौकघाट, वाराणसी	२,३७,४३५.००
१६	,, मोहन लाल हरगोविन्द बीड़ी निर्माता, इलाहाबाद ..	८,४४,४६१.००
१७	,, जगदीश सुगर मिल्स, कठकुइयां, देवरिया	१,३१,०००.००
	इलाहाबाद क्षेत्र	
१८	सर्वश्री हाजी लाल मोहम्मद बीडी मर्चेन्ट, इलाहाबाद ..	१,७६,३४२.००
१९	,, प्रोड्यूस इक्सचेन्ज कारपोरेशन, एस० सी० बसु रोड, इलाहाबाद	२,८७,९१९.००
२०	,, दुर्गा दास चिन्नी लाल यार्न डीलरस्मैन, जिला आजमगढ़ ..	१,५०,९८५.००
२१	,, हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन लि०, वाराणसी ..	१,३२,८१३.००
२२	,, मोहम्मद इस्माइल एण्ड सन्स, १५१, सब्जी मंडी, इलाहाबाद, वर्तमान पता—बरदवारी, अलीगढ़	५,६३,०००.००

क्रम सं०	बकायेदार का नाम	धनराशि
	आगरा क्षेत्र	रु० न० पै०
२३—	सर्वश्री गंगाधर राम चन्द, बेलनगंज, आगरा	६,५४,००६.००
२४— ,,	तेजकरन सिद्ध करन, वेलन गंज, आगरा ..	१,५२,४८६.००
२५— ,,	जान्स एण्ड कम्पनी, जेवनीमण्डी, आगरा	१,२३,०४६.००
२६— ,,	चैन राय केशव देव, रोशन मुहल्ला, आगरा ..	१,१६,९८१.००
२७— ,,	पराग दास प्रकाश चन्द, सुभाष बाजार, आगरा ..	२,००,२६१.००
२८— ,,	कपूर ब्रदर्स, फिरोजाबाद	३,७५,०००.००
२९— ,,	लाल चन्द रमेश कुमार, वेजीटेबुल घी, वंगालीघाट, मथुरा ..	२,७६,४४१.००
३०— ,,	सीताराम हजारी लाल, बेजीटेबुल घी डीलर्स, बावराला, बदायूं	१,१९,५००.००
३१— ,,	बाबू मियां इब्राहीम, वेजीटेबुल घी, डीलर्स महाबीरगंज, अलीगढ़	४,५३,५६३.००
३२— ,,	बेनीराम हरचरन लाल, महाबीरगंज, अलीगढ़ ..	३,०९,६०६.००
३३— ,,	मुन्शी मियां, अलीगढ़	१,०९,४८८.००
३४— ,,	बसन्त लाल हरीलाल, हाथरस	१,६४,८१८.००
३५— ,,	लल्ला मल हरदेव दास, काटन एण्ड गनिंग मिल्स, हाथरस ..	१,०१,४८८.००
३६— ,,	रामचन्द स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, हाथरस ..	१,१२,३९६.००
३७— ,,	नरायनदास गंगाशरन, मोतीबाजार, हाथरस ..	१,२७,१२१.००
	कानपुर क्षेत्र	
३८— ,,	यूनियन स्टील ट्रेडर्स, कुली बाजार, कानपुर ..	१,१७,१८८.००
३९— ,,	कानपुर वनस्पति स्टोर्स, हालसी रोड, कानपुर ..	३,६१,६३१.००
४०— ,,	नन्हूमल मोती प्रसाद, हालसी रोड, कानपुर ..	१,६१,०००.००
४१— ,,	अथर्टन वेस्ट एण्ड कम्पनी, लि० कानपुर ..	१,३१,९००.००
४२— ,,	स्वदेशी काटन मिल्स, कम्पनी लि०, कानपुर ..	१८,४४,६६४.००
४३— ,,	एच० जी० मिश्रा एण्ड कम्पनी, कानपुर ..	१,७७,०७७.००
४४— ,,	जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कम्पनी कानपुर	५,८३,१६८.००
४५— ,,	जे० के० आइरन ऐण्ड स्टील, लि० कानपुर ..	५,०२,९८१.००
४६— ,,	जे० के० जूट मिल्स, कम्पनी, कानपुर ..	१,०९,१४०.००
४७— ,,	कानपुर रोलिंग मिल्स, (पी०) लि०, कानपुर ..	२,४८,५६२.००
४८— ,,	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, कम्पनी, लि० कानपुर ..	५,७०,८७९.००
४९— ,,	विश्वनाथ श्रीनाथ, कानपुर	१,३१,६२२.००
५०— ,,	द्वारिका प्रसाद, शिवकरन दास, कानपुर ..	१,००,०७५.००
५१— ,,	राजा राम श्री नरायन	१,३४,६९८.००
५२— ,,	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कम्पनी, लि० कानपुर ..	६,१३,६२७.००
५३— ,,	म्योर मिल्स, कानपुर	१३,७३,६४७.००
	कुल योग ..	१,६४,१०,२८९.००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७–७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ७७ और ७८ से सम्बन्धित सूचना

१९६२ में निम्न जिलों से चेचक होने की सूचना प्राप्त हुई तथा निम्न संख्या में रोग ग्रसित हुए तथा मृत्युएं हुईं।

जिला	ग्रसित	मृत्युएं
आगरा ..	१६०	५३
अलीगढ़	२००	६४
इलाहाबाद	१९५	८३
अल्मोड़ा	११	२
आजमगढ़	२,८३७	१,२२९
बहराइच	१२६	३९
बलिया	२००	६८
बांदा ..	५३	१३
बाराबंकी	१७	११
बरेली ..	३५	२०
बस्ती ..	११५	१०
वाराणसी	२०३	८९
बिजनौर	११०	२८
बदायूं ..	३७३	१२६
बुलन्दशहर	७५	१४
देहरादून	४४	३
देवरिया	११५	३२
एटा ..	२१	५
इटावा	७६	२२
फर्रुखाबाद	११	२
फतेहपुर	१	०
फैजाबाद	३८	१६
गढ़वाल	९	२
गाजीपुर	३१२	१२९
गोंडा	१४	५
गोरखपुर	१८	४
हमीरपुर	११८	३५
हरदोई ..	४	२
जालौन ..	५१	६
जौनपुर ..	६१	३३
झांसी ..	६९७	१६०
कानपुर	७९	२७
खेरी ..	२८	१३
लखनऊ	९१	२८
मैनपुरी ..	२४	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	ग्रसित	मृत्युएं
मेरठ ..	८१	१५
मिर्जापुर	११०	३३
मुरादाबाद	२	१
मथुरा ..	१९८	३९
मुजफ्फरनगर	२६	६
नैनीताल	१३	३
पीलीभीत	८	३
रायबरेली	५५	२२
रामपुर ..	५	०
सहारनपुर	१७	८
शाहजहांपुर	४७	१२
सीतापुर	४	२
सुलतानपुर	६५	२०
उन्नाव ..	६७	२७
उत्तरकाशी	४	१
चमौली ..	१९	४
टेहरी गढ़वाल	४	०
पिथौरागढ़	३	०

उत्तर प्रदेश में १९६२ में निम्न जिलों से गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस होने की सूचना प्राप्त हुई तथा निम्न संख्या में रोग ग्रसित तथा मृत्युएं हुईं :

आगरा ..	३०	१४
अलीगढ़	५	१
इलाहाबाद	६८	१५
अल्मोड़ा	४	२
आजमगढ़	११६	२१
बहराइच	१०६	२६
बलिया	२७	८
बांदा ..	६०	११
बाराबंकी	१३३	३२
बरेली ..	९१	३
बस्ती ..	११५	२६
वाराणसी	१२२	५
बिजनौर	६५	१४
बदायूं	१३	५
बुलन्दशहर	२६	४
देहरादून	३४	१
देवरिया	५७	१३
एटा ..	०	०
इटावा ..	४	२
फर्रुखाबाद	१२	०
फतेहपुर	५४	११

विधान सभा उत्तर प्रदेश

जिला	ग्रसित	मृत्युएं
फैजाबाद	१५०	२९
गढ़वाल	३१	१९
गाजीपुर	६३	१७
गोंडा	१९	२
गोरखपुर	४०	५
हमीरपुर	२८	३
हरदोई	८	०
जालौन	३	०
जौनपुर	११८	५
झांसी	१३	५
कानपुर	४४७	२५
खीरी	०	०
लखनऊ	१,५६५	३५
मैनपुरी	१३	०
मेरठ	१०	२
मिर्जापुर	४७	७
मुरादाबाद	९	२
मथुरा	४१	१
मुजफ्फरनगर	२५	९
नैनीताल	३	२
प्रतापगढ़	६	०
पीलीभीत	०	०
रायबरेली	२२२	४४
रामपुर	१५	०
सहारनपुर	९	२
शाहजहांपुर	२८	५
सीतापुर	७	१
सुलतानपुर	७०	१६
उन्नाव	१२३	१०
चमोली	१	०
टेहरी गढ़वाल	१	०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११७ एल० ए०—१९६२—८४७ ।

विधान सभा प्रदेश